



जिल्हा परिषद **अहमदनगर**
जिल्हा परिषद, अहमदनगर अंतर्गत गट-क मधील
 सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीची जाहिरात
 जाहिरात क्रमांक:- ०१/२०२३



महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक प्रनिम १२२२/प्र.क्र.५४/का.१३- अ दिनांक ४ मे २०२२, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ दिनांक १० मे २०२२ महाराष्ट्र शासन वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२२, महाराष्ट्र शासन, वित्त विभागाकडील शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.२०./२०२२/आ.पु.क. दि.३१ ऑक्टोबर २०२२, महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८ दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२२, महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक प्रानिम १२२२/ प्र.क्र. १३६/का-१३ ब दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दि.१० मे, २०२३, महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक - संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.११/आस्था-८, दि. १५ मे २०२३ अन्वये विहित तरतुदी आणि निर्देशानुसार जिल्हा परिषद, **अहमदनगर** अंतर्गत गट - क मधील सर्व संवर्गाची (वाहनचालक व गट - ड संवर्गातील पदे वगळून) विविध विभागाकडील सरळसेवेने भरावयाची रिक्त पदे अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) व महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दि.०१ फेब्रुवारी २०२३ नुसार मा.राज्यपाल महोदयांच्या दि. २९ ऑगस्ट २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरणेबाबत सूचना प्राप्त आहेत. त्यानुसार शासन निर्णयामध्ये नमूद १३ जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांची भरती करीता प्रस्तूत जाहिरातीत नमूद केलेप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता व इतर बाबींची पुर्तता करणाऱ्या पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

सरळसेवेने भरावयाच्या पदाकरीता www.nagarzp.gov.in या संकेतस्थळावर अधिकृत अर्ज मागविण्यात येत आहेत. उमेदवारांनी **www.nagarzp.gov.in या अहमदनगर** जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली सविस्तर जाहिरात वाचून त्याप्रमाणे विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत. ऑनलाईन भरलेल्या अर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारे भरलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

सरळसेवा भरती प्रक्रिया संदर्भातील सविस्तर जाहिरात www.nagarzp.gov.in या **अहमदनगर** जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून उमेदवारांनी जाहिरातीत नमूद संपुर्ण माहिती काळजीपुर्वक वाचून ऑनलाईन (Online) पद्धतीनेच www.nagarzp.gov.in या संकेतस्थळावर आपले अर्ज सादर करावेत. सदर संकेतस्थळाला भरती प्रक्रियेदरम्यान वेळोवेळी भेट देऊन भरती प्रक्रिये संबंधित आवश्यक अद्यावत माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी उमेदवाराची राहील.

अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) यामध्ये कोण अर्ज करू शकतात.

जे उमेदवार महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत, असे उमेदवार आणि महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मकसी१००७/प्र.क्र.३६/का.३६ दिनांक १० जुलै २००८ अन्वये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगीतलेल्या ८६५ गांवातील मराठी भाषिक उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील (बिगर पेसा) पदांसाठी अर्ज करू शकतात.

अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) यामध्ये कोण अर्ज करू शकतात.

१. शासन अधिसूचना दि. २९/०८/२०१९ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) पदे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता असलेल्या स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.
२. स्थानिक अनुसूचित जमातीचा उमेदवार याचा अर्थ, जे उमेदवार स्वतः किंवा त्यांचे वैवाहीक साथीदार किंवा ज्यांचे मातापिता किंवा आजी-आजोबा हे दिनांक २६ जानेवारी १९५० पासून आजपर्यंत संबंधित जिल्ह्यांच्या अनुसूचित क्षेत्रांत सलगपणे राहत आले आहेत, असे अनुसूचित जमातीचे उमदेवार, असा आहे.
३. अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवारांकडे अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक (मूळ) रहिवासी असल्याबाबतचा महसूली पुरावा असणे आवश्यक आहे. तसेच सदर उमदेवारांनी अंतिम निवड झाल्यानंतर त्यांना नियुक्ती देण्यापूर्वी त्यांनी अनुसूचित क्षेत्रामधील स्थानिक रहिवासी असल्याबाबत सादर केलेल्या महसूली पुराव्याबाबत पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच निवड झालेल्या उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) नियुक्ती दिली जाईल.
४. अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त अन्य संवर्गाची पदे ही स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेली नसून परिशिष्ट -१ मध्ये सामाजिक व समांतर आरक्षणात एकत्रित दर्शविण्यात अलेली आहेत.
५. महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक आविवि-२०२३/प्र.क्र.१३२/का-१४, दि.१६/०६/२०२३ अन्वये प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांचा रहिवासी दाखला सादर करणे आवश्यक राहील.
६. ज्या उमेदवारांची पेसा क्षेत्रामध्ये निवड होईल त्या उमेदवारांची बिगर पेसा क्षेत्रामध्ये बदली करता येणार नाही.
७. जाहिरातीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील भरावयाची पदे ही महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दि.१० मे, २०२३ नुसार दर्शविणेत आलेली आहेत.

१. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे वेळापत्रक

| अ.क्र. | तपशील | दिनांक |
|--------|--|------------------------|
| १ | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक | ५ ऑगस्ट २०२३ |
| २ | ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक | २५ ऑगस्ट २०२३ |
| ३ | ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरणेची अंतिम मुदत | २५ ऑगस्ट २०२३ |
| ४ | परीक्षेसाठी ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक | परीक्षेच्या आधी ७ दिवस |

परीक्षेचा दिनांक, वेळ व केंद्र प्रवेशपत्रामध्ये नमूद केले जाईल. परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे परीक्षेपूर्वी ७ दिवस आधी www.mrrecruitments.com या संकेतस्थळावर Date for Call Letter Download या टँबवर क्लीक करून प्राप्त करून घेता येईल.

• अर्ज करण्यासाठीची महत्त्वाची सूचना -

- अ) राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये शक्यतो एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एकाच पदाकरिता अनावश्यक जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करू नये. असे केल्यास अर्ज शुल्कापोटी उमेदवारांचा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे.
- ब) भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे तयार होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एका संवर्गासाठी एकापेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांना अर्ज केले असल्यास व परीक्षा प्रवेश पत्रानुसार उमेदवाराला एकाच वेळेस अन्य ठिकाणी परीक्षेचा क्रमांक आल्यास व त्याठिकाणी परीक्षा देता न आल्यास त्यास ही जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.

२. परीक्षा शुल्क

- २.१ खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी रु. १०००/-
- २.२ मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी रु. १००/-
- २.३ अनाथ उमेदवारांसाठी रु.९००/-
- २.४ माजी सैनिक / दिव्यांग माजी सैनिक यांचेसाठी परीक्षा शुल्क माफ राहील.
- २.५ फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच परीक्षा शुल्क स्विकारले जाईल.
- २.६ परीक्षा शुल्क भरल्याबाबतची ऑनलाईन चलनाची (पावती) प्रत ही ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जाच्या प्रतीसोबत कागदपत्रांच्या तपासणीचे वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.
- २.७ उमेदवारास प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमधील एकापेक्षा अधिक पदाकरीता अर्ज करावयाचे असल्यास अशा प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करून त्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क भरणे बंधनकारक राहील.

३. अर्ज भरणे व सादर करणेबाबत आवश्यक सूचना

- ३.१ उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी www.mrrecruitments.com या लिंकवर जाऊन जाहिरात सविस्तर अभ्यासावी.
- ३.२ उमदेवारास अर्ज सादर करताना काही समस्या उद्भवल्यास <http://www.cgrs.ibps.in/> या लिंकवर अथवा १८०० २२२ ३६६/१८०० ९०३ ४५६६ या हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा
- ३.३ ऑनलाईन फी भरणेसाठी दि. २५/०८/२०२३ वेळ २३.५९ पर्यंत मुदत राहील
- ३.४ अर्जात हेतूपुरस्सर खोटी माहिती देणे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवणे किंवा त्यात बदल करणे किंवा पाठविलेल्या दाखल्यांच्या प्रतीतील नोंदीत अनधिकृतपणे खाडाखोड करणे किंवा खाडाखोड केलेले वा बनावट दाखले सादर करणे, परीक्षा कक्षातील गैरवर्तन, परीक्षेचे वेळी नक्कल (copy) करणे,


वशीला लावण्याचा प्रयत्न करणे यासारखे अथवा परीक्षा कक्षाचे बाहेर अथवा परीक्षेनंतरही गैरप्रकार करणाऱ्या उमेदवारांना गुण कमी करणे, विशिष्ट किंवा सर्व परीक्षांना वा निवर्णीना अपात्र ठरविणे इत्यादी यापैकी प्रकरणपरत्वे योग्य त्या शिक्षा करणेचा तसेच प्रचलित कायदा व नियमांचे अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करणेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद **अहमदनगर** यांना राहतील. तसेच विहीत केलेल्या अर्हतेच्या अटी पूर्ण न करणारा अथवा गैरवर्तणूक करणारा उमेदवार कोणत्याही टप्प्यावर निवड होण्यास अपात्र ठरेल. तसेच निवड झाल्यानंतर देखील सेवा समाप्तीस पात्र ठरेल.

- ३.५ वयाच्या पुराव्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जन्माचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, माध्यमिक (एस.एस.सी) परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, वय व अधिवासाबाबत शासनाकडील सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणेत येईल.
- ३.६ शैक्षणिक अर्हतेसंदर्भात आवश्यक माहिती दिलेल्या क्रमाने नमूद करावी. संबंधित परीक्षेच्या गुणपत्रकावरील दिनांक हा शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचा दिनांक समजणेत येईल व त्या आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरविणेत येईल.
- ३.७ गुणांऐवजी श्रेणी पद्धत असल्यास कागदपत्र पडताळणीचे वेळी उमेदवारांनी गुणपत्रकासोबत श्रेणीची (Grade) यादी सादर करावी.
- ३.८ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याची सर्वसाधारण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.
 - १. प्रोफाईल निर्मिती / प्रोफाईल अद्यायावत करणे.
 - २. अर्ज सादरीकरण
 - ३. शुल्क भरणा
- ३.९ प्रोफाईल निर्मिती / प्रोफाईल अद्यायावत करणे.
 - १. www. .com या संकेतस्थळावर वापरकर्त्याने प्रोफाईल निर्मिती करण्याकरीता “नवीन वापरकर्त्याची नोंदणी” (“Click here for New Registration”) वर क्लिक केल्यानंतर यंत्रणा लॉग-इन पृष्ठ प्रदर्शित करेल. नवीन खाते (वापरकर्त्याचे नाव Login व Password) निर्माण करण्यासाठी लॉग-इन पृष्ठाव्दारे विचारलेली सर्व माहिती भरून नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
 - २. प्रोफाईलव्वारे माहिती भरताना उमेदवाराने स्वतःचाच वैध ई-मेल आयडी, वैध भ्रमणध्वनी क्रमांक व जन्म दिनांक नोंदविणे आवश्यक आहे.
 - ३. उमेदवारांकडे नित्य वापरात असेल असा ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रमांक असणे आवश्यक आहे. तसेच भरती प्रक्रिये दरम्यान पत्रव्यवहार, प्रवेशपत्र आणि इतर माहिती ऑनलाईन देण्यात येणार असल्याकारणामुळे भरती प्रक्रियेच्या संपूर्ण कालावधीमध्ये नोंदणीकृत सदर ई-मेल आयडी व भ्रमणध्वनी क्रमांक वैध / कार्यरत राहणे आवश्यक आहे.
 - ४. वरीलप्रमाणे प्रोफाईलची निर्मिती झाल्यानंतर वापरकर्त्याने स्वतःच्या Login व Password व्वारे प्रवेश करून प्रोफाईलमध्ये विचारलेली वैयक्तिक माहिती, संपर्क तपशील, इतर माहिती, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी संदर्भातील तपशीलाची अचूक नोंद करावी.
 - ५. फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करणे :-
नोंदणीची प्रक्रिया व प्रोफाईलव्वारे विचारलेली माहिती भरून झाल्यानंतर उमेदवाराने स्वतःचे छायाचित्र / फोटो (रुंदी ३.५ से.मी. x उंची ४.५ से.मी.) व स्वतःची स्वाक्षरी स्कॅन करून खालीलप्रमाणे अपलोड करावी
 - १) एका पांढऱ्या स्वच्छ कागदावर विहित आकाराचा फोटो चिकटवावा. फोटोवर स्वाक्षरी करू नये अथवा फोटो साक्षात्कृत करू नये. वरील सुचनांनुसार फोटो कागदावर व्यवस्थित चिकटवावा,

स्टॅपल अथवा पिनिंग करु नये. फक्त स्कॅनरवर ठेवून थेट स्कॅन करता येईल.

- २) फोटोचा आकार खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे.

फोटो रुंदी ३.५ से.मी.



- ३) छायाचित्र अर्जाच्या दिनांकाच्या सहा महिन्याहून आधी काढलेले नसावे आणि ते ऑनलाईन परिक्षेच्या वेळी उमेदवाराच्या रूपाशी जुळणारे असावे.
- ४) विहित आकार/ क्षमतेप्रमाणे काळ्या शाईच्या (बॉल) पेनने स्वच्छ कागदावर स्वाक्षरी करावी. उमेदवाराने स्वतः स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. अन्य कोणत्याही व्यक्तीने स्वाक्षरी केल्यास ती ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
- ५) वरीलप्रमाणे विहित आकारातील फक्त फोटो व स्वाक्षरी वेगवेगळी स्कॅन करावी. संपूर्ण पृष्ठ अथवा फोटो व स्वाक्षरी एकत्रित स्कॅन करु नये.
- ६) स्कॅन करून अपलोड केलेली स्वाक्षरी, प्रवेशपत्र / हजेरीपट व तत्सम कारणासाठी वापरण्यात येईल. परीक्षेच्या वेळी, प्रत्यक्ष कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी व अन्य कोणत्याही वेळी अर्ज भरताना केलेली स्वाक्षरी व फोटो न जुळल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल, अथवा अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

A. अर्ज नोंदणी

१. उमेदवारांनी www.rajbharti.com या संकेतस्थळावर जाण्यासाठी <https://www.rajbharti.com/mr/recruitments> "APPLY ONLINE" या पर्यायावर क्लिक करा जे एक नवीन स्क्रीन उघडेल.
२. अर्ज नोंदणी करण्यासाठी, "नवीन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा" (Click here for New Registration) टॅब निवडा आणि नाव, संपर्क तपशील आणि ईमेल आयडी प्रविष्ट करा. प्रणालीद्वारे तात्पुरता नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तयार केला जाईल आणि स्क्रीनवर प्रदर्शित केला जाईल. उमेदवाराने तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड नोंदवावा. तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड दर्शविणारा ईमेल आणि एस.एम.एस. देखील पाठविला जाईल.
३. जर उमेदवार एकाच वेळी अर्ज भरू शकत नसेल, तर तो "सेव्ह आणि नेक्स्ट" (Save & Next) टॅब निवडून आधीच "एंटर" (Enter) केलेला डेटा जतन करू शकतो. ऑनलाईन अर्ज "सबमिट" (Submit) करण्यापूर्वी उमेदवारांना ऑनलाईन अर्जातील तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी "सेव्ह आणि नेक्स्ट" (Save & Next) सुविधेचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे आणि आवश्यक असल्यास त्यात बदल करावा. दृष्टिहीन उमेदवारांनी अर्ज काळजीपूर्वक भरावा आणि अंतिम सबमिशन करण्यापूर्वी ते बरोबर असल्याची खात्री करण्यासाठी तपशीलांची पडताळणी करून घ्यावी.
४. उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जातील तपशील काळजीपूर्वक भरावेत आणि त्याची पडताळणी करावी, कारण "पूर्ण नोंदणी" (COMPLETE REGISTRATION BUTTON) बटणावर क्लिक केल्यानंतर

कोणताही बदल शक्य होणार नाही/करणे शक्य होणार नाही.

५. उमेदवाराचे नाव किंवा त्याचे/तिचे वडील/पती इ.चे नाव अर्जामध्ये बरोबर लिहिलेले असावे, जसे ते प्रमाणपत्र/गुणपत्रिका/ओळख पुराव्यामध्ये दिसते. कोणताही बदल / तफावत आढळल्यास उमेदवारी अपात्र ठरू शकते.

६. “तुमचे तपशील सत्यापित करा” (Validate your details) आणि “जतन करा आणि पुढील” (Save & Next) बटणावर क्लिक करून तुमचा अर्ज जतन करा.

७. फोटो आणि स्वाक्षरी स्कॅनिंग आणि अपलोड करण्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये दिलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार उमेदवाराने फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करण्याची कार्यवाही करावी.

८. नोंदणीपूर्वी संपूर्ण अर्जाचे पूर्वावलोकन आणि पडताळणी करण्यासाठी “पूर्वावलोकन” (Preview) टॅबवर क्लिक करा.

९. आवश्यक असल्यास तपशील सुधारावा आणि छायाचित्र, स्वाक्षरी आणि इतर तपशील बरोबर असल्याची पडताळणी आणि खात्री केल्यानंतरच ‘नोंदणी पूर्ण वर क्लिक करा’ (COMPLETE REGISTRATION).

१०. “पेमेंट”(Payment) टॅबवर क्लिक करा आणि पेमेंटसाठी पुढे जावे व “सबमिट” (Submit) बटणावर क्लिक करावे.

B. परीक्षा शुल्क भरणे

ऑनलाइन मोड:

१. डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/Master Card/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, IMPS, कॅश कार्डस/ मोबाइल वॉलेट वापरून पेमेंट केले जाऊ शकते.
२. व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर, एक ई- पावती तयार होईल.
३. 'ई- पावती' तयार न होणे अयशस्वी फी प्रदान दर्शविते.
४. उमेदवारांनी ई- पावती आणि फी तपशील असलेल्या ऑनलाइन अर्जाची प्रिंटआउट घेणे आवश्यक आहे.

C. छायाचित्र व स्वाक्षरी अपलोड (Upload of Photo / Signature) करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवाराने खाली दिलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार त्याचा/तिचा फोटो, स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

 छायाचित्र प्रतिमा (रुंदी ३.५cm x उंची ४.५cm)

- छायाचित्र अलीकडील पासपोर्ट शैलीचे रंगीत चित्र असणे आवश्यक आहे.
- हलक्या रंगाच्या, शक्यतो पांढऱ्या, पार्श्वभूमीच्या विरुद्ध घेतलेले असावे.
- टोपी आणि गडद चष्मा स्वीकार्य नाहीत.
- परिमाण २०० x २३० पिक्सेल (प्राधान्य)
- फाइलचा आकार २०kb – ५० kb दरम्यान असावा
- स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा आकार ५०kb पेक्षा जास्त नसावा.

 **स्वाक्षरी:**

- अर्जदाराला काळ्या शाईच्या पेनने पांढऱ्या कागदावर सही करावी लागेल.
 - परिमाण १४० x ६० पिक्सेल (प्राधान्य)
 - फाइलचा आकार १०kb – २०kb दरम्यान असावा. स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा आकार २०kb पेक्षा जास्त नाही याची खात्री करा.

 **कागदपत्रे स्कॅन करणे :**

- स्कॅनर रिझोल्यूशन किमान २०० dpi वर सेट करा
- रंग true colour सेट करा

 **कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया:-**

- ऑनलाईन अर्ज भरताना उमेदवाराला छायाचित्र, स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र लिंक प्रदान केल्या जातील.
- संबंधित लिंकवर क्लिक करा "छायाचित्र / स्वाक्षरी अपलोड करा" (Upload of Photo / Signature)

 तुमचा फोटो, स्वाक्षरी अपलोड केल्याशिवाय तुमचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणीकृत होणार नाही.

- १) छायाचित्रातील चेहरा किंवा स्वाक्षरी अस्पष्ट असल्यास उमेदवाराचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
- २) ऑनलाईन अर्जामध्ये छायाचित्र / स्वाक्षरी अपलोड केल्यानंतर उमेदवारांनी प्रतिमा स्पष्ट आहेत आणि योग्यरित्या अपलोड केल्या आहेत हे तपासावे.
- ३) उमेदवाराने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की अपलोड करावयाचा फोटो आवश्यक आकाराचा आहे आणि चेहरा स्पष्टपणे दिसला पाहिजे.

टीप :-

ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर उमेदवारांनी त्यांच्या प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची प्रिंटआउट घ्यावी.

३.१० अर्ज सादरीकरण

१. सदर अर्ज www.com या संकेतस्थळावर दिनांक ०५/०८/२०२३ रोजी पासून भरणेसाठी उपलब्ध होतील.
२. कृपया लक्षात घ्या की, उमदेवारांनी परीक्षा शुल्क दिलेल्या पेमेंट गेटवे द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अदा करावे.

३.११ सर्वसाधारण सूचना

१. नोंदणी व अर्ज भरण्याची प्रक्रिया उमेदवाराने करणे.

2. अर्ज मराठी व इंग्रजीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी संगणक प्रक्रियेकरिता अर्ज इंग्रजीमध्ये भरणे आवश्यक आहे. संक्षिप्तपणे (Abbreviations) वा अद्याक्षरे (Initials) न देता संपूर्ण नाव व संपूर्ण पत्ता नमूद करावा. नावाच्या / पत्त्याच्या दोन भागांमध्ये एका स्पेसने जागा सोडावी.
 3. महिला उमेदवारांनी त्यांच्या नावात काही बदल असल्यास (लग्नापूर्वीचे नाव, लग्नानंतरचे नाव) त्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे, विवाह नोंदणी दाखला जमा करणे आवश्यक आहे.
 4. एस.एस.सी. अथवा तत्सम प्रमाणपत्रांवरील नावाप्रमाणे अर्ज भरावेत. त्यानंतर नाव बदलले असल्यास अथवा प्रमाणपत्रातील नावात कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला असल्यास, त्यासंबंधीच्या बदलासंदर्भातील राजपत्राची प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करावी.
 5. पत्रव्यवहारासाठी स्वतःचा पत्ता इंग्रजीमध्ये लिहावा. व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्र, स्वयं अध्ययन मार्गदर्शन केंद्र / वर्ग अथवा तत्सम स्वरूपाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक केंद्राचा / संस्थेचा पत्ता पत्रव्यवहारासाठी देवू नये.
 6. अर्जामध्ये केलेला दावा व कागदपत्रे तपासणीचे वेळी सादर केलेल्या सारांशपत्रातील अथवा सादर केलेल्या कागदपत्रांतील दावा यामध्ये फरक आढळून आल्यास अर्जामधील माहिती अनधिकृत समजण्यात येईल. अर्जामधील माहिती संदर्भातील कागदोपत्री पुरावे सादर करू न शकल्यास / न मिळाल्यास उमेदवाराची उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.
 7. संबंधित पदाच्या / परीक्षेच्या जाहिरात/ अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करूनच अर्ज सादर करावा. अर्जामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारेच पात्रता आजमावली जाईल व त्याच्या आधारे निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- 3.92 वरील कार्यपद्धती ही अर्ज करण्याची योग्य पद्धत आहे याशिवाय दुसऱ्या पद्धतीने केलेले अर्ज हे अवैध ठरविण्यात येतील
- 3.93 उमेदवाराने अर्जात स्वतःचे नाव, सामाजिक प्रवर्ग, कोणत्या प्रवर्गातून अर्ज करू इच्छित आहे तो प्रवर्ग, जन्मदिनांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आयडी इत्यादी माहिती काळजीपूर्वक भरावी. सदरची माहिती चुकल्यास त्यास जिल्हा परिषद **अहमदनगर** जबाबदार राहणार नाही.
- 3.94 उमेदवाराने अर्जावर केलेली स्वाक्षरी ही त्याच्या प्रवेशपत्रावर / उपस्थितीपत्रावर एकाच प्रकारची असेल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जावर अपलोड केलेले छायाचित्र वरील प्रमाणे सर्व ठिकाणी एकच असेल याची दक्षता घ्यावी.
- 3.95 अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांस प्राथमिक छाननीच्या आधारे परीक्षेस बसण्याची परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण झाला तरी आवश्यक ती शैक्षणिक व इतर अर्हता असल्याशिवाय व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय निवडीस पात्र राहणार नाही. केवळ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे उमेदवारांस निवडीचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी पात्रतेच्या अटी अभ्यासूनच अर्ज करावा.
- 3.96 भरती प्रक्रियेच्या संदर्भातील सर्व माहिती व त्यानुषंगाने होणा-या बदलाबाबतची सर्व माहिती केवळ www. .com या संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल, याव्यतिरिक्त कोणत्याही माध्यमाव्यारे भरती प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध होणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.
- 3.97 विहित दिनांकानंतर व विहित वेळेनंतर आलेला कोणताही अर्ज संगणकीय प्रणालीमध्ये स्विकृत केला जाणार नाही.
- 3.98 वय, शैक्षणिक अर्हता, मागासवर्ग / नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, दिव्यांग, महिला, माजी सैनिक, अनाथ, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन कर्मचारी, खेळाडू, अनुभव, पात्रता इत्यादी संदर्भात न चुकता अर्जामध्ये स्पष्टपणे / निर्विवादपणे दावा करणे आवश्यक आहे. अर्जातील संबंधित रकान्यात स्पष्टपणे

- दावा केला नसल्यास, संबंधीत दाव्याचा विचार केला जाणार नाही. उमेदवाराने अर्ज सादर केलेनंतर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही.
- ३.१९ ज्या उमेदवारांना यापूर्वी त्यांचे नाव रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे सेवायोजन कार्यालय / समाज कल्याण / आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी/जिल्हा सैनिक बोर्ड/अपंग कल्याण कार्यालय इ. कार्यालयात नोंदविलेले आहे अशा उमेदवारांनी देखील स्वतंत्ररित्या ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील.
- ४. परीक्षा**
- ४.१ जाहिरातीत नमूद पदाकरिता अर्ज केलेल्या परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्षेचे प्रवेशपत्र (Hall Ticket) www. .com या संकेतस्थळावर परीक्षेच्या किमान ७ (सात) दिवस अगोदर त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील. उमेदवारांनी परीक्षा प्रवेशपत्र संकेतस्थळावरुन काढून घ्यावे.
- ४.२ परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशपत्राची प्रिंट व ओळखीचा पुरावा (छायाप्रतीसह) सोबत ठेवणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय कोणत्याही उमेदवारांस परीक्षेस बसण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. परीक्षेनंतर प्रस्तुत प्रवेशपत्र स्वतःजवळ जपून ठेवावे व परीक्षा कक्षात प्रवेश पत्र व ओळखीच्या पुराव्याची छायाप्रत जमा करावी.
- ४.३ **परीक्षा केंद्र**
१. २. ३.
- उमेदवारांनी उपलब्ध असलेल्या परीक्षा केंद्रामधून परीक्षा केंद्र निवडावे.
- (* सदरची परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने संगणकावर विविध सत्रात घेणेत येणार असल्याने उमेदवाराने निवडलेले परीक्षा केंद्रच उमेदवाराला मिळेल याची हमी देता येणार नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. याबाबत कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही.)
- ४.४ ऑनलाईन परीक्षेनंतर पात्र उमेदवारांना महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय दि. ०४ मे २०२२ अन्वये कागदपत्रे पडताळणीकरिता बोलावण्यात येईल.
- ४.५ काही अपरिहार्य कारणास्तव परिक्षेच्या तारखांमध्ये / परिक्षेच्या ठिकाणामध्ये बदल करावा लागल्यास त्याबाबतची माहिती www. .com व www.nagarzp.gov.in या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. याबाबत लेखी स्वरूपात कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.
- ४.६ **ओळख पटवणे**
१. परीक्षा केंद्रावर प्रवेशपत्रासह उमेदवाराचे ओळख पटवणारे मूळ कागदपत्रासह व उमेदवाराचा अलीकडच्या काळातील फोटो असलेले वैध फोटो ओळखपत्र जसे पॅन कार्ड (Pan Card) / पारपत्र (Passport) / वाहनचालक परवाना (Driving License) / मतदार ओळखपत्र (Voter ID) / आधार कार्ड, बँक/पोस्ट फोटोसहीतचे पासबुक / फोटोसहीत असणारे नोंदणीकृत विद्यापीठ/कॉलेज चे फोटोसहित ओळखपत्र / बार कौन्सिलचे ओळखपत्र हे समवेक्षक/ पर्यवेक्षकाला सादर करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे प्रवेशपत्र, हजेरीपत्रक / उपस्थितीपत्रक आणि त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे उमेदवाराची ओळख पटविली जाईल. जर उमेदवाराची ओळख पटवण्याबाबत काही शंका उपस्थित झाल्यास किंवा ओळख शंकास्पद असल्यास त्याला परीक्षेसाठी उपस्थित राहू दिले जाणार नाही, सदर उमदेवाराचे मूळ प्रवेशपत्र व ओळखपत्राची एक छायाप्रत परीक्षा हॉलमध्ये जमा करणे

आवश्यक राहील.

टिप - उमेदवाराने परीक्षेला उपस्थित राहताना स्वतःची ओळख पटविण्यासाठीची आवश्यक ती मुळ कागदपत्रे, त्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती परीक्षेच्या प्रवेशपत्रासह सादर करणे आवश्यक आहे. परीक्षेच्या प्रवेशपत्रावरील नाव (परीक्षेसाठी नोंदणी केल्यानुसार) सोबत सादर करण्यात येणाऱ्या ओळखपत्राशी तंतोतंत जुळणे आवश्यक आहे. ज्या महिला उमेदवारांच्या पहिल्या / मध्यल्या / शेवटच्या नावात विवाहानंतर फरक पडला असेल त्यांनी याबाबत विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सदर महिला उमेदवारांनी नावात बदल झाल्याबाबतचे राजपत्र / विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र यापैकी एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. परीक्षेचे प्रवेशपत्र व सादर करण्यात आलेले फोटो ओळखपत्र यामधील नावात कोणतीही तफावत आढळल्यास उमेदवारास परीक्षेला उपस्थित राहू दिले जाणार नाही.

रेशनकार्ड, शिकाऊ वाहन परवाना ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही.

2. परीक्षेला उशिरा येण्याबाबत - परीक्षेच्या प्रवेशपत्रात परीक्षेला हजर राहण्यासाठी दिलेल्या वेळेनंतर येणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेला उपस्थित राहू दिले जाणार नाही. प्रवेशपत्रावरील परीक्षेसाठी उपस्थित राहण्याची वेळ ही प्रत्यक्ष परीक्षा सुरु होणाऱ्या आधीची असणार आहे. परीक्षेची वेळ जरी दोन तास (१२० मिनिटे) असली तरी उमेदवारास ओळख पटवणे. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, सूचना देणे या सर्व बाबी पूर्ण करण्यासाठी साधारण एक तास आधी परीक्षा केंद्रावर उपस्थित रहावे लागेल.

3. निवड प्रक्रिये दरम्यान गैरवर्तणूक / अनुचित प्रकार / गैरप्रकार करताना दोषी आढळलेल्या उमेदवारांवर करण्यात येणारी कार्यवाही -

उमेदवाराने त्याच्या हितासाठी खोटी व चुकीची माहिती / तपशिल देवू नये, खोटी माहिती तथा खोटा तपशिल तयार करून सादर करू नये किंवा कोणतीही माहिती ऑनलाईन अर्ज भरताना दडवून ठेवू नये. जर उमेदवाराने खोटी माहिती तथा खोटा तपशिल तयार करून सादर केला तर उमेदवारास अपात्र ठरविण्यात येईल व योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

४.७ परीक्षेच्या वेळेत किंवा एकूण निवड प्रक्रियेदरम्यान जर उमेदवाराने

१. अनुचित प्रकार करणे किंवा,
२. तोतयेगिरी करणे किंवा तोतयांच्या सेवा वापरणे किंवा,
३. परीक्षेच्या ठिकाणी गैरवर्तणूक करणे किंवा परीक्षेच्या पेपरमधील माहिती किंवा तत्संबंधी काही माहिती कोणत्याही कारणासाठी पूर्ण किंवा त्याचा काही भाग तोंडी किंवा लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिकली किंवा मैक्निकली उघड करणे, प्रकाशित करणे, पाठवणे, साठवणे किंवा,

४. स्वतः च्या उमेदवारीबदल अनियमित किंवा अयोग्य पद्धतीचा अवलंब करणे किंवा, स्वतःच्या उमेदवारीबदल गैरमार्गाने पाठिंबा मिळविणे किंवा, दळणवळणाची भ्रमणधनी किंवा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक साधने यांचा वापर परीक्षेच्या ठिकाणी करणे,

५. परीक्षा कक्षातील परीक्षा नियंत्रण अधिकारी याच्याशी अरेरावी करणे उद्घटपणे वागणे त्यांना लाच देऊ पाहणे.

अशा कृत्यांमध्ये दोषी आढळल्यास अशा उमेदवारास फौजदारी कार्यवाहीस सामोरे जावे लागेल तसेच सदर उमेदवारास परीक्षेसाठी अपात्र ठरविले जाईल.

१. जिल्हा परिषद **अहमदनगर** तर्फे घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या परीक्षेसाठी बसण्यापासून काही

ठराविक कालावधीसाठी किंवा कायमचे प्रतिरोधित (Debarred) केले जाईल.

२. जर उमेदवार जिल्हा परिषद **अहमदनगर** च्या सेवेत आधीच रुजू झाला असेल तर त्याची सेवा समाप्त केली जाईल.

५. परीक्षा केंद्र

- ५.१ १. सदर परीक्षा प्रवेश पत्रामध्ये नमूद केलेल्या परीक्षा केंद्रावर "ऑनलाईन" पद्धतीने परीक्षा घेतली जाईल.
२. परीक्षा केंद्र, परीक्षेचे ठिकाण, दिनांक, वेळ व सत्र इत्यादी बाबत बदलाची विनंती मान्य केली जाणार नाही
३. उमेदवारांनी आपल्या जबाबदारीवर स्वखर्चाने परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावायचे आहे या संबंधात कोणत्याही प्रकारच्या हानी / नुकसानीस जिल्हा परिषद **अहमदनगर** जबाबदार राहणार नाही.

६. पदसंख्या

- ६.१ जिल्हांतर्गत गट - क मधील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या विविध संवर्गाच्या संख्येप्रमाणे भरावयाच्या सर्व पदांचा तपशिल सोबतचे **परिशिष्ट १** मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
६.२ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल (कमी / वाढ) होण्याची शक्यता आहे. तसेच सदरील जाहिरातीमध्ये दर्शविण्यात आलेल्या एकूण रिक्त पदामध्ये संभाव्य रिक्त पदे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेनंतर रिक्त असणाऱ्या पदांवर तात्काळ नियुक्ती देण्यात येईल. त्यानंतर जसजशी पदे रिक्त होतील त्या प्रमाणे रिक्त होणाऱ्या पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना नेमणूक देण्याची कार्यवाही नियुक्ती प्राधिकारी करतील.
६.३ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबाबतची घोषणा / सूचना वेळोवेळी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घोषणा / सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
६.४ खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा) संवर्गामध्ये दर्शविलेली पदे ही काही जिल्हा परिषदांमध्ये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम) म्हणून कार्यरत आहेत. तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये स्वंतत्रित्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम) व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (ग्रामीण पाणी पुरवठा) अशा रितीने कार्यरत आहेत. तथापि सदर जाहिरातीमध्ये दर्शविलेली पदे ही बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा ची एकत्र करून कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा) अशी नमूद केलेली आहेत.
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम) व कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (ग्रामीण पाणी पुरवठा) या संवर्गाचा सेवाप्रवेश नियम एकच असल्यामुळे सदर पदाची एकच परीक्षा घेणेत येईल. त्यानंतर निवड यादीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांचा गुणानुक्रम, समांतर/सामाजिक आरक्षण व त्यांचा प्राधान्य (विकल्प) याचा विचार करून कागदपत्र पडताळणीचे वेळी बांधकाम किंवा ग्रामीण पाणी पुरवठा यामध्ये नियुक्ती देणेची जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही केली जाईल.
६.५ खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) संवर्गामध्ये दर्शविलेली पदे ही काही जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम) म्हणून कार्यरत आहेत. तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये स्वंतत्रित्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

(बांधकाम) व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (लघु पाटबंधारे) अशा रितीने कार्यरत आहेत. तथापि सदर जाहिरातीमध्ये दर्शविलेली पदे ही बांधकाम व लघु पाटबंधारे ची एकत्र करून स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) अशी नमूद केलेली आहेत.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम) व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (लघु पाटबंधारे) या संवर्गाचा सेवाप्रवेश नियम एकच असल्यामुळे सदर पदाची एकच परीक्षा घेणेत येईल. त्यानंतर निवड यादीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांचा गुणानुक्रम, समांतर/सामाजिक आरक्षण व त्यांचा प्राधान्य (विकल्प) याचा विचार करून कागदपत्र पडताळणीचे वेळी बांधकाम किंवा लघु पाटबंधारे यामध्ये नियुक्ती देणेची जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही केली जाईल.

पदभरतीसाठी घोषित केलेली संवर्गनिहाय सरळसेवेची रिक्त पदे

| अ.क. | संवर्ग | पद संख्या |
|------|---|-----------|
| १ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% | २२ |
| २ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) | १८७ |
| ३ | आरोग्य परिचारिका [आरोग्य सेवक (महिला)] | ४९६ |
| ४ | औषध निर्माण अधिकारी | २१ |
| ५ | कंत्राटी ग्रामसेवक | ५२ |
| ६ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा) | ३२ |
| ७ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | १ |
| ८ | कनिष्ठ आरेखक | १ |
| ९ | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | ४ |
| १० | कनिष्ठ सहाय्यक | १३ |
| ११ | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा | १६ |
| १२ | मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका | ६ |
| १३ | पशुधन पर्यवेक्षक | ४२ |
| १४ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | १ |
| १५ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | १ |
| १६ | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | ७ |
| १७ | विस्तार अधिकारी (कृषि) | १ |
| १८ | विस्तार अधिकारी (सांच्यिकी) | ४ |
| १९ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) | ३० |
| | एकूण | ९३७ |

[टिप - १) सोबतचे परिशिष्ठ १ मध्ये दर्शविलेल्या पदांमध्ये समांतर आरक्षणांतर्गत राखीव दर्शविलेल्या प्रवर्गाचे (दिव्यांग व माजी सैनिक यांचेसाठी राखीव पदे वगळून) पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्याच सामाजिक प्रवर्गातील उमेदवाराची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल.

७. पदनिहाय आवश्यक शैक्षणिक अर्हता

७.१ सरळसेवेने भरावयाच्या पदांची शैक्षणिक अर्हता पुढीलप्रमाणे आहे.

| अ. क्र | पदाचे नाव | शैक्षणिक अर्हता व अनुभव |
|--------|--|---|
| १ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% | विज्ञान विषय घेवुन माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार. ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा १२ महिन्याचा मुलभूत पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला नसेल तर अशा उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती नंतर तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील. |
| २ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) | विज्ञान विषय घेवुन माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार, राष्ट्रीय मलेरिया प्रतिरोध कार्यक्रमांतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी म्हणुन ९० दिवसांचा अनुभव धारकांना प्राधान्य देण्यात येईल. ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असणारा १२ महिन्याचा मुलभूत पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला नसेल तर अशा उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती नंतर तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहील. |
| ३ | आरोग्य परिचारिका]आरोग्य सेवक (महिला)] | ज्यांची अर्हता प्राप्त साह्यकारी प्रसाविका आणि महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये किंवा विदर्भ परिचर्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा अशा नोंदणीसाठी जे पात्र असतील. |
| ४ | औषध निर्माण अधिकारी | औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा पदविका धारण करणारे आणि औषध शाळा अधिनियम १९४८ खालील नोंदणीकृत औषध निर्माते असलेले उमेदवार |
| ५ | कंत्राटी ग्रामसेवक | किमान उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र किंवा तुल्य अर्हता परीक्षेत किमान ६० % गुणांसह उत्तीर्ण किंवा शासन मान्य संस्थेची अभियांत्रिकी पदविका (तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम) किंवा शासन मान्य संस्थेची समाजकल्याणची पदवी (बी एस डब्ल्यू) किंवा माध्यमिक शालांन्त प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तुल्य अर्हता आणि कृषि पदविका दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम किंवा कृषि विषयाची पदवी किंवा उच्च अर्हता धारण करणाऱ्या किंवा समाजसेवेचा अनुभव आणि ग्रामीण अनुभव असलेले उमेदवारांना अधिक पसंती. संगणक हाताळणी वापराबाबत माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक राहील. |
| ६ | कनिष्ठ अभियांता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा) | स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी किंवा पदविका (तीन वर्षाचा पाठ्यक्रम) किंवा तुल्य अर्हता धारण करत असतील असे उमेदवार |
| ७ | कनिष्ठ अभियांता (विद्युत) | विद्युत अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी किंवा पदविका (तीन |

| अ. क्र | पदाचे नाव | शैक्षणिक अर्हता व अनुभव |
|-----------|---------------------|--|
| | | वर्षाचा पाठ्यक्रम) किंवा तुल्य अर्हता धारण करत असतील असे उमेदवार माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण झालेले असतील किंवा तुल्य अर्हता धारण करीत आतील आणि ज्यांनी शासनाने मान्यता दिलेला स्थापत्य आरेखकाचा पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला असेल असे उमेदवार |
| ८ | कनिष्ठ आरेखक | ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल व कोणतेही सरकारी कार्यालय व्यापारी भागीदार संस्था अथवा स्थानिक प्राधिकरण यातील किमान ५ वर्षाचा अखंड सेवेचा ज्यांना अनुभव असेल अशा उमेदवारामधून नामनिर्देशनाब्दारे नेमणुक करण्यात येईल. |
| ९ | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | या बाबतीत लेखाशास्त्र आणि लेखा परीक्षा हे विशेष विषय घेऊन वाणिज्य शाखेतील पदवी धारण करणाऱ्यांना अथवा प्रथम वा द्वितीय वर्गातील पदवी धारण करणाऱ्यांना अधिक पसंती दिली जाईल किंवा गणित अथवा सांख्यिकी अथवा लेखा शास्त्र व लेखा परीक्षा हे प्रमुख विषय घेऊन पदव्युत्तर पदवी धारण करीत असतील अशा उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाब्दारे नेमणुक करण्यात येईल. याबाबतीत कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अथवा व्यापारी संस्थेतील अथवा स्थानिक प्राधीकरणातील लेखा कार्याचा अनुभव असणाऱ्यास अधिक पसंती दिली जाईल. |
| १० | कनिष्ठ सहाय्यक | माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मराठी टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा घेण्यासाठी असलेल्या एतदर्थ मंडळाने किंवा आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी अनुक्रमे मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाचे दर मिनीटास ३० शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करीत असतील किंवा मराठी टंकलेखनामध्ये ५० टक्के गुण मिळवून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील असे उमेदवार परंतु असे की, इंग्रजी विषय घेऊन माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा इतर भाषेतील टंकलेखनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल. महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक ०६ जानेवारी १९९७ नुसार मराठी टंकलेखन आवश्यक राहील. परंतु उक्त दोन भाषांपैकी मराठी भाषेतील गतीच्या प्रमाणपत्रानुसार नियुक्त केलेले उमेदवार, नियुक्त केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षाच्या कालावधीत इंग्रजी भाषेतील दर मिनीटास ४० शब्दांहून कमी नाही अशा टंकलेखनाच्या गतीचे प्रमाणपत्र मिळवतील असे उमेदवार |
| ११ | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा | माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी |

| अ. क्र | पदाचे नाव | शैक्षणिक अर्हता व अनुभव |
|-----------|-----------------------------|--|
| | | <p>मराठी टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा घेण्यासाठी असलेल्या एतदर्थ मंडळाने किंवा आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी मराठी टंकलेखनाचे दर मिनिटास ३० शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करीत असतील किंवा टंकलेखनामध्ये ५० टक्के गुण मिळवून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.</p> <p>परंतु असे की, इंग्रजी विषय घेऊन माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा इतर भाषेतील टंकलेखनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल.</p> <p>तसेच लेखाविषयक कामकाजाचा पूर्वानुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल.</p> |
| १२ | मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका | <p>ज्या महिला उमेदवारांनी एखाद्या संविधिक विद्यापीठाची, खास करून समाजशास्त्र किंवा गृहविज्ञान किंवा शिक्षण किंवा बालविकास किंवा पोषण किंवा समाजशास्त्र या विषयातील स्नातक ही पदवी धारण केलेली आहे.</p> <p>तसेच महिला व बालविकास विभागाकडील शासन अधिसूचना दि. ०४ जून २०२१ नुसार ज्यांनी पदवी धारण केली असेल असे उमेदवार</p> |
| १३ | पशुधन पर्यवेक्षक | <p>(दोन) (अ) संविधिक विद्यापीठाची, पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी धारण करीत असलेल्या व्यक्ती, किंवा</p> <p>(ब) पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपाल, पशुधन सहाय्यक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी किंवा पशुधन विकास अधिकारी (ब श्रेणी) या बाबतची पशुसंवर्धन संचालनालयाने दिलेली पुढील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणा-या व्यक्ती.</p> <p>(१) त्यावेळच्या मुंबई राज्याने चालविलेल्या अभ्यासक्रमासह, पशुवैद्यक पशुपाल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम</p> <p>(२) पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन आणि राज्यातील विविध संविधीक कृषि विद्यापीठे यांनी चालविलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम</p> <p>(३) पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी चालविलेला पशुवैद्यक व पशुसंवर्धन शास्त्रामधील दोन वर्षांचा सेवांतर्गत पदविका अभ्यासक्रम (आणि),</p> <p>(४) खालील संस्थांनी चालविलेला पशुवैद्यक शास्त्र विषयासह दुग्धशाळा व क्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका या मधील दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम,</p> <p>(एक) महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळ, किंवा</p> <p>(दोन) राज्यातील विविध संविधीक कृषि विद्यापीठे किंवा</p> <p>५) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्यामार्फत चालविण्यात येणारा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका प्रमाणपत्र</p> |

| अ. क्र | पदाचे नाव | शैक्षणिक अर्हता व अनुभव |
|--------|------------------------|---|
| | | अभ्यासक्रम उत्तीर्ण माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून वेळोवेळी विहित केलेले संगणक वापराबाबतचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. |
| १४ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | ज्याने मुख्य विषय म्हणुन भौतीकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र अथवा जीवशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र किंवा सुक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवी धारण केली असेल अशा उमेदवारातून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल. (परंतु हाफकिन संखेच्या वैद्यकिय प्रयोगशाळा तंत्रशास्त्रामध्ये पदविका धारण करीत असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.) |
| १५ | लघुलेखक (उ.श्रे.) | महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) या अन्वये स्थापन केलेल्या विभागीय मंडळाने शिक्षणाच्या माध्यमिक टप्प्याच्या अखेर घेतलेली माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा किंवा तिच्याशी तूल्य परीक्षा उत्तीर्ण असतील असे उमेदवार आणि तसेच आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर यांनी दिलेले किंवा या नियमांचे प्रयोजनार्थ शासनाकडून विनिर्देशपूर्वक मान्यता देण्यात आलेल्या अन्य कोणत्याही संस्थेने दिलेले इंग्रजी किंवा मराठी लघुलेखनातील दर मिनिटास १२० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसेल इतक्या गतीचे आणि इंग्रजी टंकलेखनातील दर मिनिटास ४० श.प्र.मि. किंवा मराठी टंकलेखनातील दर मिनिटास ३० श.प्र.मि. कमी नसेल इतक्या गतीचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक परंतु महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक ०६ जानेवारी १९९७ नुसार मराठी टंकलेखन व मराठी लघुलेखन आवश्यक राहील. |
| १६ | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करीत असतील या बाबत लेखा शास्त्र व लेखा परिक्षा हे विशेष विषय घेऊन वाणिज्य शाखेतील पदवी धारण करणाऱ्या अथवा पहिल्या किंवा दुस-या वर्गातील पदवी धारण करणा-या अथवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात अथवा व्यापारी संस्थेत अथवा स्थानिक प्राधिकरणात तीन वर्षांहून कमी नसेल इतक्या अखंड कालावधी पर्यंत लेखा विषयक कामांचा पदवी नंतरचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल. |
| १७ | विस्तार अधिकारी (कृषि) | ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कृषि विषयातील पदवी किंवा इतर कोणतीही समतुल्य अर्हता धारण केली असेल अशा उमेदवारांची नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल. परंतु कृषि विषयातील उच्च शैक्षणिक अर्हता आणि कृषि विषयक कामाचा अनुभव किंवा कृषि पद्धतीचे व्यवसायाचे ज्ञान व ग्रामीण जीवनाचा अनुभव असेल अशा उमेदवारांना |

| अ. क्र | पदाचे नाव | शैक्षणिक अर्हता व अनुभव |
|-----------|---|--|
| | | अधिक पसंती देण्यात येईल. |
| १८ | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | संविधिमान्य विद्यापिठाची विज्ञान, कृषि, वाणिज्य किंवा वाढःमय शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह प्रथम अगर द्वितीय वर्गातील पदवी धारण करीत असतील किंवा ज्यांना नमुना सर्वेक्षण करण्याचा अनुभव असेल, किंवा पदवी व अनुभव दोन्ही असतील असे उमेदवार परंतु, अशा विषयांपैकी एका विषयाची स्नातकोत्तर पदवी धारण करणाऱ्या उमेदवारांना अधिक पसंती देण्यात येईल |
| १९ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) | माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील, आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकाचा एक वर्षाचा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार संविधीमान्य तत्सम खालील पाठ्यक्रम १) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या एक वर्षाचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा २) आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समन (वास्तुशास्त्रीय आरेखक), किंवा ३) कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर (बांधकाम पर्यवेक्षक) किंवा ४) आरेखक (स्थापत्य) हा दोन वर्षाचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा ५) सैनिकी सेवेतील बांधकाम पर्यवेक्षकाचे अनुभव प्रमाणपत्र किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी मध्ये पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी धारण करीत असतील असे उमेदवार |
| | | उपरोक्त नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता यामध्ये काही विसंगती असल्यास सेवाप्रवेश नियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, शासन अधिसूचना या अंतिम राहतील. |
| | अनुभव | <ol style="list-style-type: none"> वरील सर्व पदाच्या मूळ कागदपत्रे तपासणीवेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या अनुभव प्रमाणपत्रामध्ये उपरोक्त नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पद्धतीमध्ये नमूद अनुभवामधील प्रशासकीय कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याचे स्वरूप असलेला अनुभव नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच अनुभव सिद्ध करणारे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक राहील. महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक - एसआरच्छी-२००४/प्र.क्र.१०/०४/१२, दि. ०३/०७/२००४ अन्वये नियुक्तीसाठी विहित केल्यानुसार अनुभव ग्राह्य धरणेत येईल. |

वरील सर्व पदांसाठी आवश्यक सामाईक अर्हता खालील प्रमाणे असेल.

| अ.क्र. | सामाईक अर्हता | तपशिल |
|--------|----------------------------|---|
| १) | संगणक अर्हता | कंत्राटी ग्रामसेवक व पशुधन पर्यवेक्षक पदासाठी शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) क्र.मातंस-२०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दि. ०४/०२/२०१३ मध्ये नमूद केल्यानुसार संगणक / माहिती तंत्रज्ञान विषयक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. परंतु इतर पदांसाठी संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००९/३९, दि. १९/०३/२००३ नुसार संगणकाची अर्हता नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. |
| २) | लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन | महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम २००५ मधील तरतुदानुसार शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये विहीत नमुन्यातील प्रतिज्ञापन नियुक्ती वेळेस हजर होतांना विवाहीत उमेदवारांनी सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रतिज्ञापनामध्ये नमूद केल्यानुसार हयात असलेल्या अपत्यांची संख्या दोन पेक्षा अधिक असेल तर दिनांक २८ मार्च २००६ व तदनंतर जन्माला आलेल्या, अपत्यामुळे उमेदवार शासकीय सेवेच्या नियुक्तीसाठी अनर्ह ठरविण्यास पात्र होईल. या नियमातील व्याख्येनुसार लहान कुटूंब याचा अर्थ, दोन अपत्ये यांसह पत्नी व पती असा आहे. |

८. पदनिहाय वेतनश्रेणी

८.१ सरळसेवेने भरावयाच्या पदांची वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे आहे

| अ.क्र | पदाचे नांव | वेतनश्रेणी |
|-------|---|-----------------------|
| १ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% | एस-८ (२५५००-८९९००) |
| २ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) | एस-८ (२५५००-८९९००) |
| ३ | आरोग्य परिचारिका]आरोग्य सेवक (महिला)] | एस-८ (२५५००-८९९००) |
| ४ | औषध निर्माण अधिकारी | एस-१० (२९२००-९२३००) |
| ५ | कंत्राटी ग्रामसेवक | र ९६०००/- दरमहा मानधन |
| ६ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्यबांधकाम) (/ ग्रामीण पाणी पुरवठा) | एस-१४ (३८६००-९२२८००) |
| ७ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | एस-१४ (३८६००-९२२८००) |
| ८ | कनिष्ठ आरेखक | एस-८ (२५५००-८९९००) |
| ९ | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | एस-१३ (३५४००-९९२४००) |
| १० | कनिष्ठ सहाय्यक | एस-६ (१९९००-६३२००) |

| अ. क्र | पदाचे नांव | वेतनश्रेणी |
|-----------|---|----------------------|
| ११ | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा | एस-६ (१९९००-६३२००) |
| १२ | मुख्य सेविका /पर्यवेक्षिका | एस-१३ (३५४००-९९२४००) |
| १३ | पशुधन पर्यवेक्षक | एस-८ (२५५००-८९१००) |
| १४ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | एस-१३ (३५४००-९९२४००) |
| १५ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | एस-१५ (४९८००-९३२३००) |
| १६ | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | एस-८ (२५५००-८९१००) |
| १७ | विस्तार अधिकारी (कृषि) | एस-१३ (३५४००-९९२४००) |
| १८ | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | एस-१३ (३५४००-९९२४००) |
| १९ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) | एस-८ (२५५००-८९१००) |

९. परीक्षेचे स्वरूप, दर्जा व निवडीची कार्यपद्धती

- ९.१ सर्व पदांसाठीचे परीक्षेचे स्वरूप व दर्जा परिशिष्ट २ मध्ये दर्शविण्यात आलेले आहे.
- ९.२ सर्व पदांकरीता ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेतली जाईल.
- ९.३ **ऑनलाईन** परीक्षेतील प्रश्नांचा स्तर हा त्या त्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये विहित करण्यात आलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेच्या दर्जापेक्षा निम्न असणार नाही.
- ९.४ ज्या पदांकरिता पदवी ही कमीतकमी अर्हता आहे अशा पदांकरिता परीक्षेचा दर्जा भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवी परीक्षेच्या दर्जाच्या समान राहिल. परंतु त्यापैकी मराठी व इंग्रजी या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता १२ वी) दर्जाच्या समान राहिल.
- ९.५ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), औषध निर्माण अधिकारी, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या तांत्रिक संवर्गातील पदांच्या तांत्रिक भागाचे प्रश्न इंग्रजी माध्यमातून राहतील.
- ९.६ इतर सर्व संवर्गासाठीचे तांत्रिक व इतर प्रश्न हे मराठी व इंग्रजी माध्यमातून राहतील.
- ९.७ ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपात आयोजित केली जाईल. प्रत्येक प्रश्नास एकूण २ गुण याप्रमाणे १०० प्रश्नांसाठी २०० गुणांची परीक्षा घेण्यात येईल. त्याकरीता १२० मिनीटे इतका कालावधी देण्यात येईल.
- ९.८ गुणवत्ता यादीमध्ये अंतर्भाव होण्यासाठी उमेदवारांनी एकूण गुणांच्या किमान ४५% गुण प्राप्त करणे आवश्यक राहिल.
- ९.९ ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा घेणेत येणार असल्यामुळे परीक्षेची प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिका याची प्रत उमेदवारांना मिळणार नाही.
- ९.१० ऑनलाईन पद्धतीने घेणेत आलेल्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका फेर तपासणी करणेत येणार नाही, याबाबत उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारे जिल्हा परिषद अथवा कंपनीशी संपर्क साधू नये.
- ९.११ महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक प्रनिम

१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३- अ दिनांक ४ मे २०२२ अन्वये गट-क मधील पदांसाठी मौखिक परीक्षा घेतली जाणार नाही.

- ९.१२ उमेदवारांना परीक्षेकरीता अर्ज करताना कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
- ९.१३ तात्पुरत्या निवड यादीमध्ये समावेश होणाऱ्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीकरीता पाचारण करणेत येईल. त्याबाबतची यादी व वेळापत्रक www.nagarzp.gov.in या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत येईल.
- ९.१४ कागदपत्रे पडताळणीसाठी सर्व मुळ कागदपत्रे व त्याच्या प्रत्येकी दोन स्वसाक्षांकित प्रतीसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
- ९.१५ कागदपत्र पडताळणीनंतर निवड यादी व प्रतिक्षा यादी www.nagarzp.gov.in या अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत येईल.
- ९.१६ कागदपत्र पडताळणीकरीता ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतःचे आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पारपत्र, पॅन कार्ड, वाहन परवाना (फक्त स्मार्ट कार्ड प्रकारचे) यापैकी किमान कोणतेही एक ओळखपत्र व त्याची एक स्वसाक्षांकित छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.

परिशिष्ट - २

सरळसेवने भरावयाच्या पदांच्या परीक्षेचे स्वरूप व दर्जा

| अ. क्र. | पदाचे नांव / संवर्ग | मराठी | इंग्रजी | सामान्य ज्ञान | बुद्धीमापन व गणित | तांत्रिक | एकूण प्रश्न | एकूण गुण | परीक्षेचा कालावधी (मिनीटे) |
|------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | | | |
| १ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | आरोग्य सेवा विषयक | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| २ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | आरोग्य सेवा विषयक | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| ३ | आरोग्य परिचारिका / [आरोग्य सेवक (महिला)] | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | आरोग्य सेवा विषयक | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| ४ | औषध निर्माण अधिकारी | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | औषध शास्त्र संबंधी पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी | | | |
| ५ | कंत्राटी ग्रामसेवक | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |

| अ. क्र. | पदाचे नांव / संवर्ग | मराठी | इंग्रजी | सामान्य ज्ञान | बुद्धीमापन व गणित | तांत्रिक | एकूण प्रश्न | एकूण गुण | परीक्षेचा कालावधी (मिनीटे) |
|------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | | | |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | १२ वी | १२ वी | कृषी पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| ६ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणी पुरवठा) | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी | | | |
| ७ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | विद्युत अभियांत्रिकी पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी व मराठी | इंग्रजी | | | |
| ८ | कनिष्ठ आरेखक | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | आरेखक संबंधी प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| ९ | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | लेखा संबंधी प्रश्न | | | |

| अ. क्र. | पदाचे नांव / संवर्ग | मराठी | इंग्रजी | सामान्य ज्ञान | बुद्धीमापन व गणित | तांत्रिक | एकूण प्रश्न | एकूण गुण | परीक्षेचा कालावधी (मिनीटे) |
|------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | | | |
| | | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी |
| १० | कनिष्ठ सहाय्यक | २५ | २५ | २५ | २५ | ० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | | |
| ११ | कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) | २५ | २५ | २५ | २५ | ० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | | |
| १२ | मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका | २५ | २५ | २५ | २५ | ० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | | |
| १३ | पशुधन पर्यवेक्षक | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| १४ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | पदवी दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | इंग्रजी | | | |
| १५ | लघुलेखक | २५ | २५ | २५ | २५ | ० | १०० | २०० | १२० |

| अ. क्र. | पदाचे नांव / संवर्ग | मराठी | इंग्रजी | सामान्य ज्ञान | बुद्धीमापन व गणित | तांत्रिक | एकूण प्रश्न | एकूण गुण | परीक्षेचा कालावधी (मिनीटे) |
|---------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | एकूण प्रश्न | | | |
| (उच्च श्रेणी) | | | | | | | | | मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | | |
| १६ | वरिष्ठ सहायक लेखा | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | लेखा विषयक प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| १७ | विस्तार अधिकारी (कृषि) | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | कृषी संबंधी प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |
| १८ | विस्तार अधिकारी (सांस्थिकी) | २५ | २५ | २५ | २५ | ० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १२ वी | १२ वी | पदवी | पदवी | | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | | |
| १९ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) | १५ | १५ | १५ | १५ | ४० | १०० | २०० | १२० मिनीटे |
| | काठिण्य पातळी | १० वी | १० वी | १० वी | १० वी | पदविका दर्जाचे प्रश्न | | | |
| | प्रश्न पत्रिकेचे माध्यम | मराठी | इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | मराठी व इंग्रजी | | | |

टीप - परीक्षा ही Computer Based Test पद्धतीने घेण्यात येणार असून प्रत्येक सत्राच्या प्रश्नपत्रिका स्वतंत्रपणे उपलब्ध केल्या जाणार असून एकापेक्षा जास्त सत्रात परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे. सत्र १ ते अंतिम सत्र यामधील प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व त्याची काठीण्यता तपासण्यात येऊन त्याचे समानीकरण करणेचे (Normalization) पद्धतीने गुणांक निश्चित करून निकाल जाहीर करणेत येईल. सदर (Normalization) सर्व परिक्षार्थीं यांना बंधनकारक राहील, याची सर्व परिक्षार्थीं यांनी नोंद घ्यावी.

१०. परीक्षेचे वेळापत्रक

- १०.१ परीक्षेचे वेळापत्रक हे www.nagarzp.gov.in .com व www.nagarzp.gov.in .com या जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत येईल, त्याकरिता उमेदवारांनी वारंवार संकेतस्थळाला भेट देऊन खात्री करणे आवश्यक राहील.

११. उमेदवारांना समान गुण मिळाल्यास

- ११.१ उमेदवारांना ऑनलाईन परीक्षेमध्ये समान गुण मिळाल्यास परीक्षेचा निकाल तयार करताना गुणवत्ता यादीमधील प्राधान्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहिल.

- अ) आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पाल्यास प्रथम प्राधान्य राहिल.
- ब) समान गुणप्राप्त उमेदवारांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य नसेल अथवा वरील अ.क्र.
(अ) नुसार एकापेक्षा अधिक उमेदवार समान गुणप्राप्त असतील तर त्यापैकी वयाने ज्येष्ठ असलेल्या उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.
- क) वरील अ.क्र. (अ) व (ब) या दोन्ही अटींमध्ये देखील समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांकास उच्चतर शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.
- ड) वरील अ.क्र. (अ), (ब) व (क) या तिन्ही अटींमध्ये समान ठरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, सदर पदाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये विहित असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेमध्ये उच्चतर गुण प्राप्त उमेदवारास प्रथम प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.

- टीप (आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य म्हणजे महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७, दि.२३ जानेवारी २००६ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने ज्या कुटुंबास शेतकऱ्याच्या आत्महत्याप्रकरणी मदतीसाठी पात्र ठरविले असेल अशा कुटुंबातील मृत शेतकऱ्याचा पाल्य (पत्नी / मुलगे / मुलगी) होय.)
संबंधित उमेदवारांनी सदरचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे

१२. निवडसूचीची कालमर्यादा

- १२.१ निवड समितीने तयार केलेली निवडसूची १ वर्षासाठी किंवा निवडसूची तयार करताना ज्या दिनांकापर्यंतची रिक्त पदे विचारात घेण्यात आली आहेत त्या दिनांकापर्यंत, यापैकी जे नंतर घडेल त्या दिनांकापर्यंत विधीग्राह्य राहिल. त्यानंतर ही निवडसूची व्यपगत होईल.

१३. उमेदवारांचे अधिवासाबाबत

| सर्वसाधारण अटी व शर्ती | शेरा |
|---|---|
| अ) उमेदवार भारताचा नागरीक असावा | |
| ब) उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा | अधिवास (Domicile) प्रमाणपत्र आवश्यक |
| क) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. मकसी१००७/प्र.क्र.३६/का.३६ दिनांक १० जुलै २००८ अन्वये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या ८६५ गांवातील मराठी भाषिक उमेदवारांना वरील पदासाठी अर्ज करता येईल. | सदर उमेदवारांनी ८६५ गांवातील १५ वर्षांचे वास्तव्य असलेल्या रहिवाशी असल्याचा सक्षम प्राधिकांच्याचा विहित नमुन्यातील दाखला सादर करणे अनिवार्य राहिल. सदर उमेदवारांना सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांपैकी कोणत्याही प्रवर्गाचा लाभ अनुज्ञेय ठरत नाही. |

१४. वयोमर्यादा

- १४.१ महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.सनिव २०२३/प्र.क्र.१४/कार्या/१२, दि. ०३ मार्च २०२३ अन्वये शासन सेवेत नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत दि.३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आलेली आहे.
- १४.२ दि. ०३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार दि.२५ एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत (खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे) दोन वर्षे इतकी शिथिलता (खुल्या प्रवर्गासाठी ४० वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे) देण्यात आलेली आहे.
- १४.३ ज्या पदासाठी संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेपेक्षा भिन्न कमाल वयोमर्यादा विहित केली आहे, अशा पदांसाठी देखील दि.३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आलेली आहे.
- १४.४ दि. ०३ मार्च २०२३ अन्वये शासन सेवेत नियुक्तीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत देण्यात आलेली शिथिलता ही दि.३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच लागू राहिल.
- १४.५ सामाजिक व समांतर आरक्षण निहाय वयोमर्यादा

| अ.क्र. | आरक्षण | किमान वयोमर्यादा | कमाल वयोमर्यादा | दि. ०३ मार्च २०२३ अन्वये सुधारित वयोमर्यादा |
|--------|---------------------|------------------|-----------------|---|
| १ | खुला प्रवर्ग | १८ | ३८ | ४० |
| २ | मागासवर्गीय उमेदवार | १८ | ४३ | ४५ |
| ३ | दिव्यांग उमेदवार | १८ | ४५ | ४७ |
| ४ | प्रकल्पग्रस्त | १८ | ४५ | ४७ |
| ५ | भूकंपग्रस्त | १८ | ४५ | ४७ |

| | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|----|
| ६ | अंशकालीन | १८ | ५५ | ५७ |
| ७ | माजीसैनिक | सशस्त्र दलात केलेली सेवा + ३ वर्षे | सशस्त्र दलात केलेली सेवा + ३ वर्षे + २ वर्षे | |
| ८ | माजीसैनिक (दिव्यांग) | ४५ | | ४७ |
| ९ | खेळाडू | १८ | ४३ | ४५ |
| १० | अनाथ | १८ | ४३ | ४५ |
| ११ | <ul style="list-style-type: none"> • स्वातंत्र्य सैनिकाचे पाल्य • १९९१ चे जनगणना कर्मचारी • १९९४ नंतरचे निवडणूक कर्मचारी • शासकीय कर्मचारी / जि.प.कर्मचारी | १८ | ४५ | ४७ |

१४.६ संवर्गनिहाय वयोमर्यादा

| अ.क्र. | आरक्षण | किमान वयोमर्यादा | कमाल वयोमर्यादा | दि. ०३ मार्च २०२३ अन्वये सुधारित वयोमर्यादा |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|
| १ | आरोग्य सेवक (महिला) खुला प्रवर्ग | १८ | ४० | ४२ |
| २ | आरोग्य सेवक (महिला) मागास प्रवर्ग | १८ | ४३ | ४५ |
| ३ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% | १८ | ४५ | ४७ |
| ४ | पर्यवेक्षिका (सरळसेवा) | २१ | ३८ खुला प्रवर्ग ४३ मागास प्रवर्ग | ४० खुला प्रवर्ग ४५ मागास प्रवर्ग |

१४.७ दि. २५ ऑगस्ट २०२३ रोजीचे उमेदवाराचे वय ग्राह्य धरणेत येईल.

१५. मार्च २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे अर्ज केलेल्या उमेदवारांबाबत

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दि. २१ ऑक्टोबर २०२२ अन्वये मार्च १५.१ २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी अर्ज केलेले / भरलेले आहेत, व सध्या

वयाधिक्य झाले असल्याने ते परीक्षेस बसण्यास अपात्र होऊन अशा उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये, याकरिता अशा उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारून फक्त या परीक्षेस बसण्याकरिता अशा उमेदवारांना वयोमर्यादेत सूट देण्यात येत आहे. परंतु यासाठी उमेदवारांने नव्याने अर्ज करणे बंधनकारक राहील.

- १५.२ त्यानुसार सन २०२३ मध्ये घेणेत येणाऱ्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेकरीता ज्यांनी मार्च २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे अर्ज भरलेले होते व त्यांचे वयाधिक्य झालेले आहे, अशा उमेदवारांना वयामध्ये सूट देणेत येऊन या परीक्षेकरीता पात्र समजणेत येईल.
- १५.३ सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार वयामध्ये सूट मिळविण्यासाठी उमेदवारांनी अर्ज भरताना मार्च २०१९ च्या जाहिरातीप्रमाणे अर्ज केला असलेबाबत अर्जामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे.

१६. सामाजिक व समांतर आरक्षण

१६.१ खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक

- १६.१.१ सदरचे आरक्षण हे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेले आहे.
- १६.१.२ खुल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर प्रवर्गातील उमेदवारांना सदर आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय नाही.
- १६.१.३ या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठीसाठी अर्जदाराच्या / उमेदवाराच्या कुटूंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाखाच्या आत असले पाहिजे व ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटूंबीय महाराष्ट्र राज्यात दि.१३ ऑक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापुर्वीचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- १६.१.४ उमेदवाराकडे सक्षम प्राधिकारी यांनी विहित नमुन्यातील निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

१६.२ महिला आरक्षण

- १६.२.१ महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दि. ०४ मे २०२३ अन्वये खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिलांनी तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सदर शासन निर्णयान्वये रद्द करणेत आलेली आहे.
- १६.२.२ मागासवर्गीय प्रवर्गातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड) आणि विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या त्या मागास प्रवर्गासाठी शासनाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- १६.२.३ महिला उमेदवारांनी सादर केलेले नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आयुक्त, महिला व बालविकास विभागाकडून तपासणी करून घेणेत येईल.
- १६.२.४ महिलांकरीता आरक्षित पदावर पात्र महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या त्या प्रवर्गातील पात्र पुरुष उमेदवारांचा विचार करण्यात येईल.

१६.३ खेळाडू

- १६.३.१ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय दि.०१ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुद्धीपत्रक

- क्रमांक राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७, शासन निर्णय दि. ३० जून २०२२ आणि तदनंतर शासनाने या सदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, प्राविष्ट प्राप्त खेळाडूंबाबत आरक्षण, क्रिडा विषयक प्रमाणपत्र पडताळणी वयोमर्यादेतील सवलती संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- १६.३.२ उमेदवाराने सक्षम क्रिडा प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले क्रिडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल अथवा संबंधित प्राधिकरणाकडे क्रिडा प्रमाणपत्र पडताळणीकरीता केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर न केल्यास त्याच टप्प्यावर खेळाडू आरक्षणाचा दावा रद्द करण्यात येईल.
- १६.३.३ खेळाडू आरक्षणासाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट लागू राहणार नाही.
- १६.३.४ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविष्ट प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविष्ट प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरिता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

१६.४ माजी सैनिक

- १६.४.१ शासन परिपत्रक साप्रवि क्र. आरटीए१०७९/४८२/१६-अ दिनांक १६/०४/१९८१ अन्वये माजी सैनिक उमेदवारांना समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
- १६.४.२ माजी सैनिक उमेदवारांच्या बाबतीत सैन्यात काम केल्याबाबतचे आवश्यक कागदपत्र व जिल्हा सैनिक बोर्डात नाव नोंदणी केले असल्याबाबत प्रमाणपत्र व सेवा तपशील दर्शविणारे अभिलेख प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल.
- १६.४.३ तसेच निवड झालेल्या माजी सैनिक उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सक्षम अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी झाल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार नाही.
- १६.४.४ सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.आरटीए १०९०/६२/प्र.क्र. २२२/११/२८ मुंबई दि. ३० डिसेंबर १९९१ अन्वये माजी सैनिकांना शासन सेवेत नागरी सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा त्यांनी एकदा फायदा घेतल्यावर नागरी सेवेतील पदावर नेमणुकीसाठी दुसऱ्यांदा तसा फायदा घेता येणार नाही.
- १६.४.५ सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र.आरटीए १०८२/३५०२/सीआर-१००/१६-अ, दि.२ सप्टेंबर १९८३ अन्वये
- अ) माजी सैनिकांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांवर भरती करताना युद्ध काळात आणि युद्ध नसताना सैन्यातील सेवेमुळे दिव्यांगत्व आले असल्यास असा माजी सैनिक १५% राखीव पदांपैकी उपलब्ध पदांवर प्राधान्य क्रमाने नियुक्ती देण्यासा पात्र राहील.
- ब) युद्ध काळात किंवा युद्ध नसताना सैनिक सेवेत मृत झालेल्या किंवा अपेंगत्व येऊन त्यामुळे नोकरीसाठी अयोग्य झालेल्या माजी सैनिकाच्या कुटूंबातील फक्त एका व्यक्तीला त्या नंतरच्या पसंती क्रमाने १५ टक्के आरक्षित पदांपैकी उपलब्ध पदावर नियुक्तीस पात्र राहील. तथापि, सदर उमेदवाराने पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल असणे आवश्यक आहे.

१६.५ प्रकल्पग्रस्त

- १६.५.१ शासन निर्णय साप्रवि क्र. एझएम१०८०/३५/१६अ दिनांक २० जानेवारी १९८० व शासन निर्णय साप्रवि क्र. भुकंप/१००९/प्र.क्र.२०७/२००९/१६अ दिनांक २७ ऑगस्ट २००९ नुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागू करण्यात आलेले आहे.

१६.५.२ प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित जिल्हयातील जिल्हाधिकारी / जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी निर्गमित केलेले प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

१६.५.३ उमेदवाराने सदर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची मुळ प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे

१६.६ भूकंपग्रस्त

१६.६.१ शासन निर्णय साप्रवि क्र. भुकंप/१००९/प्र.क्र.२०७/२००९/१६अ दिनांक २७ ऑगस्ट २००९ नुसार भूकंपग्रस्तांसाठी समांतर आरक्षण लागु करण्यात आलेले आहे.

१६.६.२ उमेदवाराकडे जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ नुसार दिलेले प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहिल.

१६.६.३ उमेदवाराने सदर भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्राची मुळ प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे

१६.७ पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार

१६.७.१ शासन निर्णय दि. २७ ऑक्टोबर २००९ अन्वये पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन या समांतर आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी सुशिक्षीत बेरोजगार या योजने अंतर्गत शासकीय कार्यालयामध्ये तीन वर्षे काम केल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र व रोजगार मार्गदर्शक केंद्रामध्ये सदर अनुभवाची नोंद केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

१६.७.२ रोजगार मार्गदर्शक केंद्रामध्ये अनुभवाची नोंद केल्याचे प्रमाणपत्र व सेवायोजन कार्यालयाकडील प्रमाणपत्र उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीचे वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

१६.८ अनाथ

१६.८.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक - अनाथ-२०१८/प्र.क्र.१२२/का-३, दि. ६ एप्रिल २०२३ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहिल.

१६.८.२ अनाथांसाठी “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” अशा दोन प्रकारामध्ये आरक्षण देय राहील.

१६.८.३ संस्थात्मक आरक्षण

१. संस्थात्मक आरक्षणामधून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे व ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल. (तसेच महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ अन्वये कार्यरत बालकांच्या काळजी व संरक्षणाची संबंधित संस्थांमध्ये तसेच महिला व बालविकास विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांकडून मान्यता प्रदान करणेत आलेल्या अनाथालये अथवा तत्सृष्ट यांच्या संस्थांमध्ये पालन झालेल्या अनाथांचा यामध्ये समावेश असेल.)

१६.८.४ संस्थाबाह्य आरक्षण

१. संस्थाबाह्य आरक्षणामधून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये ज्यांच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई वडीलांचे निधन झाले आहे आणि ज्यांचे शासन मान्यताप्राप्त

संस्थेबाहेर / नातेवाईकाकडे संगोपन झालेले आहे अशा बालकांचा समावेश असेल.

- १६.८.५ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराकडे महिला व बालविकास विभागाकडून निर्गमित करणेत आलेले अनाथ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- १६.८.६ अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती देण्यात येईल.
- १६.८.७ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश तो ज्या प्रवर्गाचा आहे, त्या प्रवर्गात करण्यात येईल.

१६.९ दिव्यांग

- १६.९.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.
- १६.९.२ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.
- १६.९.३ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग / पदाकरिता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहिल
- १६.९.४ दिव्यांग आरक्षणाच्या पात्रतेकरीता दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% असणे आवश्यक आहे.
- १६.९.५ दिव्यांग व्यक्तीकरीताचे आरक्षण एकूण समांतर आरक्षण आहे. दिव्यांगासाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश, उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे त्या सामाजिक प्रवर्गातून करण्यात येईल.
- १६.९.६ सर्वसाधारण उमेदवारांप्रमाणे तसेच प्रचलित नियमाप्रमाणे दिव्यांग उमेदवारांना देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ न घेता एखाद्या पदावर निवड झाली असेल अशा दिव्यांग उमेदवारांची गणना दिव्यांगासाठी आरक्षित पदावर करण्यात येत नाही व दिव्यांगासाठी आरक्षित पदे / पद हे इतर दिव्यांग उमेदवारांमधून भरण्यात येईल.
- १६.९.७ दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in या संकेतस्थळावरून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरीत केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
- १६.९.८ दिव्यांग उमेदवार एखाद्या सामाजिक प्रवर्गातील असल्यास संबंधित सामाजिक प्रवर्गामध्ये गुणवत्तेनुसार निवडीसाठी पात्र ठरण्यासाठी व परीक्षा शुल्कामधील सवलतीकरीता संबंधित जातीचे वैध कालावधीचे नॉन क्रिमीलेअर (लागू असल्यास) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहिल.
- १६.९.९ **लेखनिक व अनुग्रह कालावधी**

१. लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व इतर सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासन निर्णय. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१९ / प्र.क्र.२००/दि. कर, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या लक्षणीय (Benchmark) दिव्यांग व्यक्तीच्याबाबत लेखी परीक्षा घेण्याबाबतची मार्गदर्शिका - २०२१ तसेच तदनंतर शासनाचे निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
२. प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या, पात्र दिव्यांग उमेदवारांना

लेखनिकाची मदत आणि अथवा अनुग्रह कालावधीची आवश्यकता असल्यास संबंधित उमेदवाराने ॲनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत आवश्यक प्रमाणपत्र / कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये या कार्यालयाकडे लेखी विनंती करून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

३. उमेदवाराने लेखनिक पुरविण्याची मागणी केल्यानुसार त्यांना जिल्हा परिषदेमार्फत लेखनिक पुरविण्यात येर्झेल.
४. अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास तसेच शासनाची विहित पद्धतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाही अथवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय असणार नाही.
५. परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत आणि अथवा अनुग्रह कालावधीची परवानगी दिलेल्या पात्र उमेदवारांची यादी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येर्झेल, तसेच लेखनिकाची मदत आणि अथवा अनुग्रह कालावधीच्या परवानगीबाबत संबंधित उमेदवाराला नोंदणीकृत ई-मेलवर कळविण्यात येर्झेल.
६. प्रत्यक्ष परीक्षेच्यावेळी लेखनिक व अनुग्रह कालावधीचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या दिव्यांग उमेदवारांनी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यापूर्वी कार्यालयाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दिव्यांग उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचनाचे अवलोकन करणे उमेदवारांचे हिताचे राहील.
७. परीक्षेकरीता लेखनिकाची मदत घेण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या लक्षणीय (Benchmark) दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना परीक्षेसाठी देण्यात येणारा अनुग्रह कालावधी (भरपाई वेळ) हा प्रति तास वीस मिनीटांपर्यंत राहील.

१६.९.१० सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, दिनांक २९ मे २०१९ नुसार शारीरिकदष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४% आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१, दिनांक ०८ एप्रिल २०२१ व दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ नुसार पदांकरीता दिव्यांगांसाठीची पदे खालीलप्रमाणे सुनिश्चित करणेत आलेली आहेत. त्याबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

| अ. क्र. | पदनाम | कार्यात्मक (गरज) | आवश्यकता | अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार पात्रता निकष |
|---------|--|--|----------|--|
| १ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% | S,ST,W,MF,RW, SE,H, | A | LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | D | SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a)to(d)above |
| २ | आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी) | S,ST,W,MF,RW, SE,H, | A | LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | D | SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a)to (d)above |
| ३ | आरोग्य परिचारिका [आरोग्य सेवक (महिला)] | S,ST,W,MF,RW, SE,H, | A | LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | D | SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a)to(d)above |
| ४ | औषध निर्माण अधिकारी | S,ST,W,BN,L,K C, PP,MF,RW,SE, H | A | D,HH |
| | | | B | OL,BL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | C | ASD(M),SLD,MI |
| | | | D | MD Involving (a)to (c)above |
| | | | E | |
| ५ | कंत्राटी ग्रामसेवक | S,ST,W,BN,L,PP, RW,SE,H,C | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OL,OA,LC,DW,AAV,Mdy(M) |
| | | | D | MI |
| | | | E | MD including a to d |
| ६ | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रामीण पाणी पुरवठा) | S,ST,W,BN,MF,RW, SE, H,C | A | LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,BA,OL,BL,Dw,AAV |
| | | | D | SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a) to (d)above |
| | | | B | D,HH |

| | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | C | OA,BA,OL,LC,Dw,AAV |
| | | | D | ASD(M), SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a) to (d)above |
| ७ | कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) | S,ST,W,BN,KC,P P,MF,RW,SE,C | A | D,HH |
| | | | B | OL,LC,Dw,AAV |
| | | | C | SLD,MI |
| | | | D | MD Involving (a) to (c)above |
| ८ | कनिष्ठ लेखा अधिकारी | S,ST,W,BN,RW,SE,H, C, MF | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,BA,OL,BL,LC,Dw, AAV,MDy |
| | | | D | ASD,SLD |
| | | | E | MD involving (a)to(d)above |
| ९ | कनिष्ठ सहाय्यक | S,ST,W,MF,RW,SE, ,C | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,OL,BA,BL,OAL,CP,L C, |
| | | | D | ASD(M),SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a)to (d) above |
| १० | कनिष्ठ सहाय्यक लेखा | S,W,MF,SE,RW,H, C | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,OL,BL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | D | ASD(M),SLD,MI |
| | | | E | MD Involving (a) to (d)above |
| ११ | मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका | S,ST,W,BN,L,PP,RW, SE,H,C | A | HH |
| | | | C | OL,LC,DW,AAV,LC |
| | | | D | ASD(M),MI(M) |
| | | | E | MD including a to d |
| १२ | पशुधन पर्यवेक्षक | S,ST,W,BN,L,PP, RW,SE,H,C | A | HH |
| | | | C | OA,LC,DW,AAV,LC |
| | | | D | ASD(M),MI(M) |
| | | | E | MD including a to d |
| १३ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ | S,ST,W,BN,M F, RW,SE,H, C | A | D,HH |
| | | | B | OL,BL,Dw, AAV |
| | | | C | ASD(M),SLD,MI |
| | | | D | MD Involving (a)to (c)above |
| १४ | वरिष्ठ सहाय्यक लेखा | S,W,MF,SE,RW,H, C | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,OL,BL,CP,LC,Dw, AAV |
| | | | D | ASD(M),SLD,MI |

| | | | | |
|----|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | E | MD Involving (a) to (d)above |
| १५ | विस्तार अधिकारी (कृषि) | S,ST,W,BN,L,PP, RW,SE,H,C | A | LV |
| | | | B | HH |
| | | | C | OA,OL,DW,AAV,LC |
| | | | D | ASD(M),MI(M) |
| | | | E | MD including a to d |
| १६ | विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) | S,W,MF,RW,SE,C | A | B,LV |
| | | | B | D,HH |
| | | | C | OA,BA,OL,BL,OAL,CP,LC,Dw ,AAV |
| | | | D | ASD(M),MI, |
| | | | E | MD involving (a)to(d)above |
| १७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (बांधकाम / लघु पाटबंधारे) | S,ST,W,BN,L,PP,RW, SE,H,C | A | LV |
| | | | B | HH |
| | | | C | OL,OA,LC,DW,AAV,MDy(m) |
| | | | D | SLD,ASD(M),MI(M) |
| | | | E | MD including a to d |

Abbreviations:

| Sr. No. | Abbreviation | Long Form | Sr. No. | Abbreviation | Long Form |
|---------|--------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------|
| १ | S | sitting | ७ | H | Hearing |
| २ | ST | standing | ८ | BN | Bending |
| ३ | W | walking | ९ | L | Lifting |
| ४ | MF | Manipulation by Fingers | १० | KC | kneeling Crouching |
| ५ | RW | Reading &Writing | ११ | PP | Pulling &Pushing |
| ६ | SE | Seeing | १२ | C | Communication |

Category Abbreviations:

| Sr. No | Abbreviation | Long Form | Sr. No. | Abbreviation | Long Form |
|--------|--------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------------|
| १ | LV | Low Vision | ११ | AAV | Acid Attack Victims |
| २ | D | Deaf | १२ | SLD | Specific Learning Disability |
| ३ | HH | Hard of Hearing | १३ | MD | Multiple Disabilities |
| ४ | OA | One arm | १४ | BL | Both Leg |
| ५ | BA | Both arm | १५ | ASD(M) | Autism Spectrum Disorder(M=Mild) |

| ६ | OL | One leg | १६ | MI | Mental Illness. |
|----|-----|-------------------------|----|--------|--------------------------|
| ७ | CP | Cerebral Palsy | १७ | B | Blind |
| ८ | LC | Leprosy Cured | १८ | Mdy | Muscular Dystrophy |
| ९ | Dw | Dwarfism | १९ | MI (M) | Mental Illness |
| १० | OAL | One arm and one leg | २० | ASD | Autism Spectrum Disorder |
| २१ | ID | Intellectual Disability | | | |

१७. सर्वसाधारण सूचना

- १७.१ ज्या उमेदवारांनी यापुर्वी जरी त्यांचे नाव रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्राकडे, सेवा योजन कार्यालय, समाजकल्याण, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालयात नांवे नोंदविली असली तरी अशा उमेदवारांना विहीत मुदतीत स्वतंत्ररित्या ऑनलाईन अर्ज करणे व परिक्षा शुल्क भरणे आवश्यक राहील (माजी सैनिकांना परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक नाही) तसेच प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अंशकालीन, खेळाडू अशा इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी देखील भरतीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अशा उमेदवारांनी अन्य कोणत्याही मार्गाने सादर केलेले अर्ज विचारांत घेतले जाणार नाहीत व त्यांना याबाबत कार्यालयामार्फत स्वतंत्रपणे कळविले जाणार नाही.
- १७.२ अनुभवाच्या बाबतीत मासिक, नियतकालीक, अंशकालीक, विद्यावेतन, अंशदानात्मक, विनावेतन तत्वावर केलेला अंशकालीन सेवेचा कालावधीत सेवेत प्रभारी म्हणून नेमणूकीचा कालावधी, अतिरिक्त कार्यभाराचा कालावधी अनुभवासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही.
- १७.३ सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०११/प्र.क्र. १०६४/२०११/१६-ब दिनांक १२ डिसेंबर २०११ नुसार मागासवर्गीय उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र कागदपत्र तपासणीचे वेळी सादर करणे आवश्यक राहील. शासन निर्णय दिनांक १२.१२.२०११ अन्वये निवड यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास ०६ महिन्यांचे आत, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. विहीत मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधीत उमेदवारांना सेवेतुन कमी करण्यात येईल.
- १७.४ वि.जा.(अ)/ भ.ज.(ब)/ भ.ज.(क)/ भ.ज.(घ)/ वि.मा.प्र., इमाव, ईडब्ल्युएस या प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती व गट (क्रिमीलेयर) या मध्ये मोडत नसल्याबाबतचे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले अलिकडील / नविनतम मूळ नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकांका पर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक राहील. सदर प्रमाणपत्राची पडताळणी कागदपत्र तपासणीच्या वेळी करण्यात येईल.
- १७.५ शासन परिपत्रक, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दि.२५ मार्च २०१३ अन्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार तसेच शासन शुद्धीपत्रक संबंधित जाहिरातीमध्ये नमूद अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांक संबंधित उमेदवार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी गृहित धरण्यात येईल.
- १७.६ शासन परिपत्रक, सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी-२०१३/प्र.क्र.१८२/विजाभज-१, दि. १७ ऑगस्ट २०१३ अन्वये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गट यामध्ये मोडत नसल्याचे नॉन - क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी विचारात

घेण्यात येईल.

- १७.७ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुरता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशींकरिता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- १७.८ शासकीय /निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अर्ज त्यांच्या संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाच्या परवानगीने भरावयाचा आहे. अशी परवानगी प्राप्त केल्याची प्रत कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे.
- १७.९ ऑनलाईन अर्ज केला अथवा विहित अहंता धारण केली म्हणजे पात्रता परीक्षेस बसण्याचा/ कागदपत्र पडताळणीस बोलविण्याचा अथवा नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही. निवडीच्या कोणत्याही टप्यावर अर्जदार विहित अहंता धारण करीत नसल्याचे आढळल्यास किंवा खोटी माहिती पुरविल्यास अथवा एखादया अर्जदाराने त्याच्या निवडीसाठी निवड समितीवर प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणला अथवा गैरप्रकाराचा अवलंब केल्यास त्यास निवड प्रक्रियेतुन बाद करण्यात येईल.
- १७.१० निवड प्रक्रिया सुरु झाल्या नंतर किंवा नियुक्ती नंतर कोणत्याही क्षणी उमेदवारानी दिलेली माहिती अगर कागदपत्रे खोटी सादर केल्याचे किंवा खरी माहिती दडवून ठेवल्याचे निर्दर्शनास आल्यास त्या उमेदवाराची उमेदवारी/नियुक्ती बाद करण्यात येईल, व शासनाची दिशाभुल केल्या प्रकरणी सदर उमेदवारा विरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
- १७.११ चारित्र्य-पुर्वचारित्र्य पडताळणी अंती आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी/ सेवेसाठी पात्र राहाणार नाही. तसेच कोणत्याही टप्यावर असे उमेदवार अपात्र ठरतील.
- १७.१२ निवड झालेल्या उमेदवारांनी आवश्यक ते सर्व प्रमाणपत्र/ हमीपत्र / प्रतिझापत्र इत्यादींची पुरता करून देणे आवश्यक राहील. तसेच त्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी विहित पद्धतीनुसार करून घेणे बंधनकारक राहील. सेवेत नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांना नियमानुसार आवश्यक ती सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा/ प्रशिक्षण विहित मुदतीत उत्तीर्ण/ पुर्ण करणे आवश्यक राहील.
- १७.१३ महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ मधील कलम ४(३) नुसार विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (घ) या प्रवर्गासाठी विहित केलेले आरक्षण अंतर्गत परीवर्तनीय असेल. आरक्षित पदासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास प्रचलीत/ सुधारीत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.
- १७.१४ ऑनलाईन परिक्षा व कागदपत्र पडताळणीस उमेदवारास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल.
- १७.१५ अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल. वैद्यकीय अहवाल प्रतिकूल असल्यास केलेली निवड व नेमणुक रद्द करण्यात येईल.
- १७.१६ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज स्विकारले जाणार असल्याने स्पर्धा परीक्षेअंती गुणवत्तेनुसार प्रथम अंतरीम निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. तदनंतर अर्ज सादर करताना उमेदवारांनी अर्जात नमूद केलेले व सदर पदांसाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक अहंता, अनुभव तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी सर्व विहित मूळ कागदपत्रे यांची छाननी करून अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. जे

- उमेदवार कागदपत्र छाननीच्या वेळी मूळ कागदपत्र दर्शविण्यास असमर्थ ठरतील, असे उमेदवार अंतिम निवडीस पात्र राहणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
- १७.१७ दि. ०९ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्यांची शासकीय सेवेत नियुक्ती होईल त्यांना नविन परिभाषित अंशादान निवृत्ती वेतन योजना समाप्त करून शासनाने नव्याने दिनांक ०९.०४.२०१८ पासून लागू केलेली राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. मात्र सद्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशाराशीकरण) नियम १९७४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना त्यांना लागू होणार नाही.
- १७.१८ माजी सैनिकासाठी असलेल्या पदांवर शिफारशीसाठी पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्यांच्यासाठी आरक्षित असलेली पदे भरती संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, परिपत्रक, शासन निर्णय यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
- १७.१९ खेळाडू/महिला/प्रकल्पग्रस्त / भुकंपग्रस्त / पदवीधर-पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवार या समांतर आरक्षणाचे प्रवर्गातुन पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पदांसाठी त्या त्या सामाजिक प्रवर्गातुन सर्वसाधारण (समांतर आरक्षण विरहीत) पात्र उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार विचार करणेत येईल.
- १७.२० वरील अटी व शर्ती नियमा व्यतिरिक्त शासनाने वेळोवेळो निर्गमित केलेले आदेश व निर्णय लागू राहतील.
- १७.२१ जाहिराती मधील काही मुद्दे शासन निर्णयाच्या विसंगत असल्यास शासन निर्णय अंतिम राहील.
- १७.२२ सदर पदभरती नियम / निकषामध्ये पदभरती पूर्ण होईपर्यंत वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णय / शासन शुद्धीपत्रक / शासन अधिसूचना यानुसार बदल होऊ शकतो. जाहिरातीमध्ये दर्शविलेल्या पदसंख्येत कमी जास्त बदल होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत अर्जदार / उमेदवाराला कोणताही दावा करता येणार नाही. परीक्षेचा प्रकार, पदांची संख्या, समांतर आरक्षण यात बदल करणे, परीक्षा स्थगित करणे / रद्द करणे / अंशात: बदल करणे इ. बाबतचे सर्व अधिकार हे जिल्हा निवड समिती **अहमदनगर** स्वतःकडे राखून ठेवत आहे. याबाबत कोणालाही कोणत्याही प्रकारचा दावा सांगता येणार नाही अथवा न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.

१८. इतर सर्वसाधारण अटी / शर्ती / सूचना

- १८.१ अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व त्याबाबतचे सक्षम अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्जदाराकडे असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संझेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तसाच अर्थ असेल.
- १८.२ जातीच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियम) अधिनियम २००० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांचेकडून प्रदान करण्यात आलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- १८.३ उमेदवारांना परीक्षेची प्रवेशपत्रे, परीक्षेचे वेळापत्रक, बैठक व्यवस्था व इतर सूचना वेळोवेळी **www.
.com** संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत येतील. याबाबत उमेदवारांना लेखी पत्रव्यवहार केला

जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी भरती प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत वेळोवेळी संकेतस्थळावरील सूचना पहाव्यात. संकेतस्थळावरील सूचना पाहिल्या नाहीत यास्तव आलेल्या कोणत्याही तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही.

- १८.४ कागदपत्र पडताळणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी, निवडने, तात्पुरती निवड व प्रतिक्षा यादी व त्यासंबंधीच्या इतर सूचना www.nagarzp.gov.in या **अहमदनगर** जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत येतील.
- १८.५ उमेदवाराने नोकरीसाठी केलेल्या अर्जात नमूद केलेली माहिती ही अंतिम समजणेत येईल. अर्जातील माहिती बदलाबाबत कोणत्याही प्रकारचे अर्ज स्थिकारले जाणार नाहीत अथवा बदल विचारात घेतले जाणार नाहीत.
- १८.६ भरतीबाबतचे सर्व अधिकार जिल्हा निवड समिती यांचेकडे राहतील.
- १८.७ भरती प्रक्रिया ही **अहमदनगर** जिल्ह्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधिकार कक्षेत असेल.

१९. कागदपत्र पडताळणी वेळेस विहित कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे सादर करणे

सदर परीक्षेच्या निकाळानंतर तात्पुरत्या निवड यादीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी आवश्यकतेनुसार खालील कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे (लागू असलेली) सादर करणे अनिवार्य आहे.

| अ.क्र. | कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे |
|--------|---|
| १ | अर्जदाराची माहिती बरोबर असल्याचे स्वयंघोषणापत्र |
| २ | शैक्षणिक अर्हतेचा पुरावा |
| ३ | वयाचा पुरावा |
| ४ | जन्माचा पुरावा |
| ५ | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याबाबतचा पुरावा |
| ६ | राखीव प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांचे संबंधित प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र |
| ७ | नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (चालू आर्थिक वर्षातील) |
| ८ | पात्र दिव्यांग व्यक्ती असल्याचा पुरावा |
| ९ | पात्र माजी सैनिक असल्याचा पुरावा |
| १० | खेळांडुंसाठीच्या आरक्षणाकरिता पात्र असल्याचा पुरावा |
| ११ | अनाथ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा पुरावा |
| १२ | महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र |
| १३ | महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगीतलेल्या ८६५ गांवातील मराठी भाषिक उमेदवारांना सक्षम प्राधिकाऱ्याचा विहित नमुन्यातील दाखला |
| १४ | विवाहीत श्लियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा |
| १५ | मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा |
| १६ | लहान कुटूंबाचे प्रतिज्ञापन |
| १७ | पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र |
| १८ | MS-CIT अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र |
| १९ | टंकेलेखन प्रमाणपत्र |
| २० | लघुलेखन प्रमाणपत्र |
| २१ | अनुभव प्रमाणपत्र |

APPENDIX-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr / Ms / Mrs (Name of the candidate with disability), of person with (Nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o, a resident of (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitations which hampers his/her writing capabilities Owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical Superintendent of
A Government Health care institute

Name and Designation

Name of Government Hospital / Health care Centre with Seal

Place :-

Date :-

Note – Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – ophthalmologist, locomotor disability – orthopaedic specialist PMR).

लहान कुटूंबाचे प्रतिज्ञापन

नमुना - अ

महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटूंब प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ मधील
प्रतिज्ञापनाचा नमुना - अ
(नियम ४ पहा)

मी श्री/श्रीमती/कुमारी-----श्री-----

-----यांचा /यांची मुलगा/मुलगी/पत्नी वय----- वर्ष राहणार----- या व्हारे पुढील
प्रमाणे असे जाहिर करते / करतो की,

- १) मी -----या पदासाठी माझा अर्ज दाखल केला आहे.
- २) आज रोजी मला ----- (संख्या) इतकी हयात मुले आहेत. त्या पैकी दिनांक २८ मार्च २००५ या नंतर
 - आलेल्या मुलांची संख्या ----- आहे. (असल्यास जन्मदिनांक नमुद करावा)
- ३) हयात असलेल्या मुलांची संख्या दोन पेक्षा अधिक असेल तर दिनांक २८ मार्च २००६ व तदनंतर
 - जन्माला आलेल्या, मुलामुळे या पदासाठी मी अनर्ह ठरविण्यात पात्र होईन याची मला जाणीव आहे.

ठिकाण:-

दिनांक:- / /२०२३

अर्जदाराची सही

अर्जदाराचे संपूर्ण नाव :-

परिशिष्ट - १
जिल्हा परिषद अहमदनगर
संवर्गनिहाय सरळसेवेने भरावयाच्या पदांचा तपशिल

१. पदाचे नाव - आरोग्य सेवक (पुरुष) ४०% - २२ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळा झू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|---------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| वि.जा.अ | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ५ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | ५ | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| इ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | १ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ७ | १ | | | |
| खुला | ३ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ३ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | २२ | ० | ० | २ | ० | ० | २ | १८ | २२ | ० | १ | |

a. Low Vision -०१

० १

२. पदाचे नाव - आरोग्य सेवक (पुरुष) ५०% (हंगामी फवारणी क्षेत्र कर्मचारी)

- १८७ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळदृ | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|-----|-------|-------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|---|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | २१ | ० | १ | ३ | १ | ० | २ | १४ | २१ | २ | ७ | a. Low Vision -०२ |
| अ.ज. | १६ | ० | १ | २ | १ | ० | २ | १० | १६ | | | b.Deaf, Hard of Hearing -०२ |
| वि.जा.अ | ७ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ५ | ७ | | | c.(One lege, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims)-०१ |
| भ.ज.ब | ७ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ५ | ७ | | | d&e (Specific Learning Disability, Multiple Illness , Multiple Disability, Involving (a)to (d) above)- ०२ |
| भ.ज.क | ७ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ५ | ७ | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ५ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | ५ | | | |
| इ.मा.व. | ३८ | ० | २ | ६ | २ | १ | ४ | २३ | ३८ | | | |
| आ.दु.घ. | १८ | ० | १ | ३ | १ | ० | २ | ११ | १८ | | | |
| खुला | ६३ | ० | ३ | १ | ३ | १ | ६ | ४१ | ६३ | | | |
| पेसा | ५ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | ५ | | | |
| एकूण | १८७ | ० | ८ | २८ | ८ | २ | २१ | १२० | १८७ | २ | ७ | |

३. पदाचे नाव - आरोग्य परिचारिका [आरोग्य सेवक (महिला)]

- ४९६ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|-----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | |
| अ.जा. | ६८ | ० | ३ | १० | ३ | १ | ७ | ४४ | ६८ | ५ | २० | a. Low Vision -०७ |
| अ.ज. | २४ | ० | १ | ४ | १ | ० | २ | १६ | २४ | | | b.Deaf, Hard of Hearing -०७ |
| वि.जा.अ | १२ | ० | १ | २ | १ | ० | १ | ७ | १२ | | | c.(One lege, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims)-०० |
| भ.ज.ब | ११ | ० | १ | २ | १ | ० | १ | ६ | ११ | | | d&e (Specific Learning Disability, Multiple Illness , Multiple Disability, Involving (a)to (d) above)- ०६ |
| भ.ज.क | ९ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ७ | ९ | | | |
| भ.ज.ड | १० | ० | १ | २ | १ | ० | १ | ५ | १० | | | |
| वि.मा.प्र. | ९ | ० | ० | १ | ० | ० | १ | ७ | ९ | | | |
| इ.मा.व. | ८९ | ० | ४ | १३ | ४ | २ | ९ | ५७ | ८९ | | | |
| आ.दु.घ. | ५० | ० | ३ | ८ | ३ | १ | ५ | ३० | ५० | | | |
| खुला | २०३ | ० | १० | ३० | १० | ४ | २० | १२९ | २०३ | | | |
| पेसा | ११ | ० | १ | २ | १ | ० | १ | ६ | ११ | | | |
| एकूण | ४९६ | ० | २५ | ७५ | २५ | ८ | ४९ | ३१४ | ४९६ | ५ | २० | |

४. पदाचे नाव - औषध निर्माण अधिकारी

- २१ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|------------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | |
| अ.जा. | ४ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ४ | ० | १ | b.Deaf, Hard of Hearing - ०९ |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| इ.मा.व. | ९ | ३ | ० | १ | ० | ० | १ | ४ | ९ | | | |
| आ.दु.घ. | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | | | |
| खुला | ५ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | ५ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | २१ | ७ | ० | ३ | ० | ० | २ | ९ | २१ | ० | १ | |

५. पदाचे नाव - कंत्राटी ग्रामसेवक

- ५२ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | १० | ३ | १ | २ | १ | ० | १ | २ | १० | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| इ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | | | |
| पेसा | ३९ | १२ | २ | ६ | २ | १ | ४ | १२ | ३९ | | | |
| एकूण | ५२ | १६ | ३ | ८ | ३ | १ | ५ | १६ | ५२ | १ | २ | |

१. Blind, Low Vision - ०१
२. Mental illness - ०१

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|---------------------------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ४ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ४ | ० १ Low Vision - ०१ | १ | |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | | | |
| वि.मा.प्र. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| इ.मा.व. | ७ | ३ | ० | १ | ० | ० | १ | २ | ७ | | | |
| आ.दु.घ. | ४ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ३ | ४ | | | |
| खुला | १४ | ४ | १ | २ | १ | ० | १ | ५ | १४ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | ३२ | ९ | १ | ४ | १ | ० | २ | १५ | ३२ | ० | १ | |

७. पदाचे नाव - कनिष्ठ आरेखक

- ०१ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| इ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | |

८. पदाचे नाव - कनिष्ठ लेखाधिकारी

- ४ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० | |

९. पदाचे नाव - कनिष्ठ सहाय्यक

- १३ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | | | |
| अ.ज. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| वि.जा.अ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.ब | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| झ.मा.व. | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| आ.दु.घ. | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| खुला | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १३ | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ९ | १३ | ० | १ | |

० १ Specific Learning Disability – ०१

१०. पदाचे नाव - कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

- १६ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|---|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | a. Blind, Low Vision - |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | b. Deaf, Hard of Hearing - |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | c. (One Arm, One leg, Both Legs, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims)- |
| भ.ज.ब | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | (d) Autism Spectrum Disorder |
| झ.मा.व. | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | | | (Mild), Specific Learning Disability, Multiple Illness , |
| आ.दु.घ. | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| खुला | ७ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | ३ | ७ | | | (e) Multiple Disability, Involving (a)to (d) above)- ०१ |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १६ | ५ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | १६ | ० | १ | |

११. पदाचे नाव - पशुधन पर्यवेक्षक

- ४२ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ८ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | ४ | ८ | | | |
| अ.ज. | ५ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | ५ | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| झ.मा.व. | ५ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | ५ | | | |
| आ.दु.घ. | ४ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ४ | | | |
| खुला | १४ | ४ | १ | २ | १ | ० | १ | ५ | १४ | | | |
| पेसा | ५ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ३ | ५ | | | |
| एकूण | ४२ | १२ | १ | ७ | १ | ० | ४ | १७ | ४२ | ० | २ | |

Hard Hearing – ०२

२

१२. पदाचे नाव - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ

- १ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | |
| अ.जा. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | |
| अ.ज. | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | |
| वि.जा.अ | o | o | o | o | o | o | o | o | | | | |
| भ.ज.ब | १ | o | o | o | o | o | o | १ | १ | | | |
| भ.ज.क | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| भ.ज.ड | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| वि.मा.प्र. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| इ.मा.व. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| आ.दु.घ. | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| खुला | o | o | o | o | o | o | o | o | o | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | |

१३. पदाचे नाव - लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

- १ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | |

१४. पदाचे नाव - वरिष्ठ सहायक लेखा

- ७ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | a. Blind, Low Vision - |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | b. Deaf, Hard of Hearing - |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | c.(One Arm, One leg, Both Legs, Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack Victims)- |
| भ.ज.ब | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | (d) Autism Spectrum Disorder |
| झ.मा.व. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | (Mild), Specific Learning Disability, |
| आ.दु.घ. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | Multiple Illness , |
| खुला | ३ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ | ३ | | | (e) Multiple Disability, Involving |
| पेसा | | | | | | | | | | | | (a)to (d) above)- ०१ |
| एकूण | ७ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ७ | ० | १ | |

१५. पदाचे नाव - विस्तार अधिकारी (कृषि)

- १ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | | | | | | | | | | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | १ | |

One Leg - ०१

१

१६. पदाचे नाव - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

- ४ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.ब | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.क | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| खुला | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ | ४ | ० | ० | |

१७. पदाचे नाव - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

- ३० पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|----|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ४ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ४ | | | |
| अ.ज. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.जा.अ | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| भ.ज.ब | २ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | २ | | | |
| भ.ज.क | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ५ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | ५ | | | |
| आ.दु.घ. | ५ | २ | ० | १ | ० | ० | १ | १ | ५ | | | |
| खुला | ११ | ३ | १ | २ | १ | ० | १ | ३ | ११ | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | ३० | १० | १ | ५ | १ | ० | ३ | १० | ३० | ० | १ | |

१
Low Vision, Hard Hearing – ०१

१८. पदाचे नाव - मुख्य सेविका / पर्यवेक्षिका

- ६ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षणा शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| अ.ज. | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ | २ | | | |
| खुला | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| पेसा | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| एकूण | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ६ | ६ | ० | १ | |

१ Dwarfism, Acid Attach Victims -
०१

१९. पदाचे नाव - कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)

- १ पदे

| प्रवर्ग निहाय एकूण पदे | | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्प ग्रस्त | भुकंप ग्रस्त | अंश कालीन कर्मचारी | समांतर आरक्षण शिवाय | एकूण | अनाथ | दिव्यांग | दिव्यांगाचा प्रकार |
|------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----------|--------------------|
| १ | | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ |
| अ.जा. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| अ.ज. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | | | |
| वि.जा.अ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ब | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.क | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| भ.ज.ड | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| वि.मा.प्र. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| झ.मा.व. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| आ.दु.घ. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| खुला | | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | | |
| पेसा | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ | १ | ० | ० | ० |